न्यायालय विशिष्ट न्यायाधीश, एन.डी.पी.एस.प्रकरण, बून्दी (राज0)

पीठासीन अधिकारी	:	कृष्णा गुप्ता, आर.जे.एस.
विशिष्ट सेशन प्रकरण संख्या	:	**03/2015**
सी.आई.एस.नम्बर	**:**	**01/2015**
CNR No.	**:**	**RJBD010017432015**

आरोप अन्तर्गत धारा-8/21, 8/27 व 8/29 स्वापक औषधि एवं
मनः प्रभावी पदार्थ अधिनियम, 1985

निर्णय दिनांक 10-08-2026

शिकायतकर्ता	राजस्थान राज्य
उपस्थित	विशिष्ट लोक अभियोजक श्री महेन्द्र कुमार शर्मा
अभियुक्तगण	1. रघुनन्दन उर्फ सत्यनारायण पुत्र रामलक्ष्मण, **(मृतक)** निवासी-सोत्यापाड़ा, गणेशजी के पास, 2. महेश कुमार उर्फ बंटी पुत्र कपूरचन्द, निवासी-नाहर का चौहटा, लक्ष्मीनारायण मंदिर के पास, बून्दी थाना-कोतवाली, जिला-बून्दी (राज0) 3. शाहिद हुसैन उर्फ कालू पुत्र बदरूद्दीन, **(फैसल दिनांक 06.05.25)** निवासी-महावीर कॉलोनी, गुलाल फैक्ट्री के पीछे,थाना-कोतवाली, जिला-बून्दी (राज0) 4. महावीर पुत्र चेतराम, **(फैसल दिनांक 06.05.25)** निवासी-माटून्दा बसस्टेण्ड, थाना-सदर,जिला-बून्दी (राज0)
उपस्थित	(1) श्री एजाज रिजवी , अधिवक्ता-अभियुक्त महेश

संदर्भित तारीखों का विवरण

घटना की तारीख	11/05/2015
प्रथम सूचना रिपोर्ट की तारीख	12/05/2015
चार्जशीट पेश होने की तारीख	13/07/2015
आरोप विरचित किये जाने की तारीख	19/12/16
अभियोजन साक्ष्य प्रारम्भ होने की तारीख	08/01/18

Authenticated Document

निर्णय सुरक्षित रखने की तारीख	
निर्णय तारीख	10/08/26
दण्डादेश की तारीख	10/08/26

मुलजिम/मुलजिमान की सूचना

क्र.सं.	मुलजिम का नाम	गिरफ्तारी दिनांक	जमानत की तारीख	आरोपित अपराध अन्तर्गत धारा	बरी या दोषसिद्ध	अधिरोपित दण्ड	विचारण के दौरान भुगती गई निरोध की अवधि
1	महेश कुमार	12.05.15	30.07.15	8/21 व 8/29 एन.डी.पी.एस. एक्ट	निर्णयनुसार	निर्णयनुसार	12.05.15 से 30.07.15 13.07.22 से 14.07.22 06.12.24 से 10.12.24 01.06.26 से 06.06.26 22.07.26 से लगातार

<u>नि र्ण य</u>

<u>दिनांक : 10 अगस्त, 2026</u>

1. यह प्रकरण आरक्षी केन्द्र-कोतवाली, बून्दी जिला-बून्दी की प्रथम सूचना रिपोर्ट संख्या-213/2015 धारा-8/21, 8/27 व 8/29 स्वापक औषधि एवं मनःप्रभावी पदार्थ अधिनिय, 985 (जिसे आगे एन.डी.पी.एस.एक्ट या अधिनियम कहा जायेगा) से सम्बन्धित प्रकरण में प्रस्तुत अभियोग-पत्र के आधार पर संस्थित हुआ है। **प्रकरण में अभियुक्त रघुनन्दन की मृत्यु होने से उसके विरुद्ध दिनांक 23.04.2023 को कार्यवाही ड्रॉप की जा चुकी है एवं अभियुक्तगण शाहिद हुसैन उर्फ कालू व महावीर के विरुद्ध प्रकरण का निस्तारण में दिनांक 06.05.25 को किया जा चुका है। अतः उक्त निर्णय प्रकरण में शेष अभियुक्त महेश कुमार की हद तक पारित किया जा रहा है।**

2. प्रकरण के तथ्य संक्षिप्त रूप से इस प्रकार से है कि फर्द चैकिंग व जप्ती के आधार पर दर्ज की गई प्रथम सूचना रिपोर्ट के अनुसार दिनांक 11.05.2015 को समय लगभग 10.30 पी.एम. पर तरूणकान्त सोमानी, सी.आई. थाना-कोतवाली, बून्दी द्वारा मय जाप्ता गश्त हेतु रवाना होने के पश्चात् दौराने गश्त रामद्वारा से कागजी देवरा की तरफ गया तो चम्बा बाग के अंदर हल्की रोशनी दिखाई दी। वहाँ जाकर देखा तो कुछ व्यक्ति बार-बार माचिस से तीली जलाकर एक चमकीली पन्नी से उपर उठते हुए धुंए को मुँह मे खींचते हुए व धुआं खींचने के बाद सिगरेट पीते हुए दिखाई दिये व एक व्यक्ति सामने बैठा हुआ दिखाई दिया। ड्रेगन लाईट के प्रकाश में 3 व्यक्ति बांये हाथ मे चमकीली पन्नी व दांहिने हाथ मे सिगरेटनुमा पाईप को मुंह मे लगाये हुये दिखाई दिये एवं व्यक्ति उनके सामने बैठा हुआ नजर आया। इनकी तलाशी ली जाना आवश्यक होने से कानि. भंवर सिंह को लिखित हुकमनामा देकर स्वतंत्र गवाहान की तलबी हेतु भेजा गया, जिसने वापिस आकर बताया कि रात्रि का समय व सुनसान जगह होने से कोई स्वतंत्र गवाह नही मिला। इस पर जाप्ते में से बृजराज सिंह व हजारीसिंह को स्वतंत्र गवाह मामूर कर उनके नाम पते पूछे तो एक ने अपना

नाम रघुनन्दन, दूसरे ने अपना नाम महेश कुमार शर्मा उर्फ बन्टी, तीसरे ने अपना नाम शाहिद हुसैन उर्फ कालू व चौथे ने अपना नाम महावीर धोबी होना बताया। रात्रि मे सुनसान जगह बैठने बाबत् कारण पूछा तो कोई सन्तोषप्रद जवाब नहीं दे पाये। उक्त व्यक्तियो पर कोई मादक पदार्थ का नशा करने व रखने का संदेह होने से उक्त चारों व्यक्तियों से अपनी तलाशी बाबत कानूनी प्रावधानो की जानकारी देकर अवगत कराया कि अपनी तलाशी किसी राजपत्रित अधिकारी या न्यायिक मजिस्ट्रेट या उससे लिवाई जा सकती है, उसके द्वारा तलाशी लेने की लिखित सहमति प्रदान करने पर पहले व्यक्ति रघुनन्दन शर्मा उर्फ सत्यनारायण की तलाशी ली गई तो उसके बायें हाथ मे एक सफेद चमकीली पन्नी दाहिने हाथ मे आधी जली हुई सिगरेट FOUR SQIARE कम्पनी की तथा दाहिने पांव के नीचे माचिस गुलाब छाप 5-6 जली हुई तिल्लियों के टुकड़े, 8-10 साबुत तिल्लीयां व कागज का पाईप मिला तथा पन्नी पर काले रंग का तरल पदार्थ जैसा लगा हुआ मिला। जिस पर गवाहान को उक्त पन्नी को सुंघाया व दिखाया तो मादक पदार्थ स्मैक की गंध होना बताया, स्वयं रघुनन्दन उर्फ सत्यनारायण ने भी मादक पदार्थ स्मैक पीना स्वीकार किया। अतः उक्त व्यक्ति का यह कृत्य, धारा 8/27 एन.डी.पी.एस.एक्ट के तहत दण्डनीय अपराध होने से स्मैक पीने बाबत अनुज्ञापत्र चाहा गया, नहीं होना बताया। अतः रघुनन्दन उर्फ सत्यनारायण के पास मिली चमकीली पन्नी, अधजली सिगरेट, 5-6 जली तिल्लीयों के टुकड़ो व 8-10 साबुत तिल्लीयों को उसी माचिस की डिब्बी मे रखकर सफेद कपड़े की थैली मे रखकर बृजराज सिंह की निजी शील से शिल्ड मोहर कर चिट चस्पा कर मार्क । अंकित किया गया। दूसरे व्यक्ति शाहिद हुसैन उर्फ कालू की तलाशी ली गई तो उसके बाये हाथ मे एक सफेद चमकीली पन्नी दाहिने हाथ मे आधी जली हुई सिगरेट FOUR SQUARE कम्पनी की तथा दाहिनें पांव के नीचे माचिस गुलाब छाप, 4-5 जली हुई तिल्लियों के टुकड़े, 7-8 साबुत तिल्लियां व कागज का पाईप मिला तथा पन्नी पर काले रंग का तरल पदार्थ जैसा लगा हुआ मिला। जिस पर गवाहान को उक्त पन्नी को सुंघाया व दिखाया तो मादक पदार्थ स्मैक की गंध बताया तथा स्वंय शाहिद हुसैन उर्फ कालू ने भी मादक पदार्थ स्मैक पीना स्वीकार किया। अतः उक्त व्यक्ति का यह कृत्य धारा 8/27 एन.डी.पी.एस. के तहत दण्डनीय अपराध होने से स्मैक पीने बाबत अनुज्ञापत्र चाहा गया तो नहीं होना बताया। अतः शाहिद हुसैन उर्फ कालू के पास मिली चमकिली पन्नी, अधजली सिगरेट, कागज के पाईप, 4-5 जली तिल्लीयो के टुकड़ो व 7-8 साबुत तिल्लीयों को उसी माचिस की डिब्बी मे रखकर सफेद कपड़े की थैली में रखकर बृजराज सिंह की निजी शील से शिल्ड मोहर कर चिट चस्पा कर मार्क ठ अंकित किया गया। तीसरे व्यक्ति महावीर धोबी की तलाशी ली गई तो उसके बाये हाथ मे एक सफेद चमकीली पन्नी दाहिने हाथ में आधी जली हुई सिग्रेट FOUR SQUARE कम्पनी की, दाहिने पांव के पास कागज का पाईप, गुलाब छाप माचिस, 6 जली तिल्लीयों के टुकडे व 10 साबुत तिल्लीयां मिली तथा पन्नी पर काले रंग का तरल पदार्थ जैसा लगा हुआ मिला। जिस पर गवाहान को उक्त पन्नी को सुंघाया व दिखाया तो मादक पदार्थ स्मैक की गंध बताया तथा स्वंय महावीर धोबी ने भी मादक पदार्थ स्मैक पीना स्वीकार किया। अतः उक्त व्यक्ति का यह कृत्य धारा 8/27 एन.डी.पी.एस.एक्ट के तहत दण्डनीय अपराध होने से स्मैक पीने बाबत

अनुज्ञा पत्र चाहा गया तो नहीं होना बताया। अतः महावीर धोबी के पास मिली चमकीली पन्नी व अधजली सिगरेट कागज के पाईप जली तिल्लीयों के टुकड़ो व साबुत तिल्लीयों को उसी माचिस की डिब्बी मे रखकर सफेद कपड़े की थैली मे रखकर बृजराज सिंह की निजी शील से शिल्ड मोहर कर चिट चस्पा कर मार्क ब् अंकित किया गया। चौथे व्यक्ति महेश कुमार शर्मा उर्फ बन्टी की तलाशी ली गई तो पहनी हुई पेन्ट की दाहिनी जेब मे एक सफेद पोलिथिन की पारदर्शी जिप वाली थैली मिली जिसमें हल्के भुरे रंग का पाउडर जैसा पदार्थ, मिला जिसको देखा, सूंघा व परखा तो मादक पदार्थ स्मैक होना पाया व स्वंय महेश कुमार उर्फ बन्टी ने भी मादक पदार्थ स्मैक होना स्वीकार किया तथा उसकी पहनी हुई पेन्ट की बायी जेब मे 5200/- रुपये नगद मिले, जिनमे 500-500 रुपये के 8 नोट, 100-100 के 10 नोट, 20-20 के 10 नोट कुल 5200/- रुपये मिले। जिनको महेश कुमार ने स्मैक बिक्री से प्राप्त राशि होना स्वीकार किया। अतः उक्त व्यक्ति महेश कुमार से अपने कब्जे मे मादक पदार्थ स्मैक रखने व बेचने बाबत अनुज्ञापत्र चाहा तो नहीं होना बताया। उक्त व्यक्ति महेश कुमार उर्फ बन्टी द्वारा अपने कब्जे मे मादक पदार्थ स्मैक रखना व बेचना जुर्म धारा 8/21 एन.डी.पी.एस.एक्ट के तहत दण्डनीय अपराध होने से महेश कुमार उर्फ बन्टी के पास मिली पोलिथिन की थैली में मिली मादक पदार्थ स्मैक का वजन इलेक्ट्रोनिक कांटे से किया गया तो पोलिथिन की थैली सहित कुल वजन 7 ग्राम 15 मिलीग्राम हुआ तथा खाली पोलिथिन थैली का वजन 15 मिलीग्राम हुआ तथा शुद्ध स्मैक का वजन 7 ग्राम हुआ। अतः शुद्ध स्मैक में से एक ग्राम-एक ग्राम के दो सैम्पल बतौर परीक्षण लिये जाकर दो अलग-2 छोटी पोलिथिन की थैली में रखकर सफेद कपड़े की थैली मे रखकर बृजराज सिंह की निजी शील से शिल्ड मोहर कर, चिट चस्पा कर मार्क D,E अंकित किया गया तथा शेष माल को उसी पोलिथिन की थैली में रखकर सफेद कपड़े की थैली मे रखकर मार्क F दिया गया तथा महेश शर्मा उर्फ बन्टी के पास मिली स्मैक बिक्री रकम 5200/- रु खाकी लिफाफे में रखकर बृजराज सिंह की निजी शील से शिल्ड मोहर कर मार्क G दिया गया तथा मुलजिमानों को जरिये फर्द गिरफ्तारी गिरफ्तार कर हिरासत पुलिस लिया जाकर वापस थाना आया, वापसी थाना पर शील्ड शुदा पैकिट A,B,C,D,E,F,G को थाने की शील से पुनः शील्ड मोहर कर जमा मालखाना कर धारा 55 एन.डी.पी.एस.एक्ट की पालना की गई। मुकदमा न. 213/15 धारा 8/21, 8/27, 8/27 ए एन.डी.पी.एस.एक्ट में दर्ज कर अनुसंधान किया गया। सम्पूर्ण अनुसंधान व पत्रावली पर संकलित साक्ष्यो के आधार पर मुलजिमान 1. रघुनन्दन शर्मा उर्फ सत्यनारायण, शाहिद हुसैन उर्फ कालू, महावीर के खिलाफ अपराध द्वारा 8/27 8/29 एन.डी.पी.एस.एक्ट व **महेश कुमार शर्मा उर्फ बन्टी के खिलाफ अपराध धारा 8/21, 8/29 एन.डी.पी.एस.एक्ट पूर्णतया प्रमाणित पाये जाने पर उक्त धाराओं में आरोप-पत्र प्रस्तुत हुआ,** जिस पर उक्त अपराधों हेतु अभियुक्तगण के विरुद्ध प्रसंज्ञान लिया जाकर प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया गया।

3. बाद बहस आरोप अभियुक्त महेश कुमार के विरुद्ध धारा 8/21 व 8/29 एन.डी.पी.एस. एक्ट के विरुद्ध के आरोप प्रथमदृष्टया बनना पाये जाने पर पृथक से विरचित कर सुनाये व समझाये गये, अभियुक्त ने अपराध से इन्कार कर

अन्वीक्षा चाही।

अभियोजन साक्षीगण की सूची

क्रम सं.	साक्षी का नाम	किस बाबत साक्षी
1	तरूणकान्त सोमानी	जप्ती अधिकारी
2	हजारी सिंह	फर्द जप्ती
3	ब्रजराज सिंह	फर्द जप्ती
4	निर्मल	एफ.एस.एल. में माल जमा कराना
5	भंवर सिंह	प्रत्यक्षदर्शी साक्षी
6	हनूमान	धारा 57 एन.डी.पी.एस. की सूचना
7	बुद्धिप्रकाश	प्रत्यक्षदर्शी साक्षी
8	महेश कुमार	एफ.एस.एल. में माल जमा कराना
9	अनीश अहमद	अनुसंधान अधिकारी
10	डॉ0 अनिल अरोड़ा	चिकित्सीय साक्षी

बचाव साक्षीगण की सूची :-

क्रम सं.	साक्षी का नाम	किस बाबत साक्षी
	निल	

अभियोजन की ओर से पेश प्रलेखों की सूची

क्र. सं.	प्रदर्श संख्या	विवरण
1	प्रदर्श पी 1/ पी.डब्ल्यू.1	फर्द जप्ती
2	प्रदर्श पी 2/ पी.डब्ल्यू.1	फर्द गिरफ्तारी
3	प्रदर्श पी 3/ पी.डब्ल्यू.1	फर्द गिरफ्तारी
4	प्रदर्श पी 4/ पी.डब्ल्यू.1	फर्द गिरफ्तारी
5	प्रदर्श पी 5/ पी.डब्ल्यू.1	फर्द गिरफ्तारी
6	प्रदर्श पी 6/ पी.डब्ल्यू.1	तलबी गवाह
7	प्रदर्श पी 7/ पी.डब्ल्यू.1	गवाह सहमति
8	प्रदर्श पी 8/ पी.डब्ल्यू.1	नोटिस धारा 50
9	प्रदर्श पी 9/ पी.डब्ल्यू.1	नोटिस धारा 50
0	प्रदर्श पी 10/ पी.डब्ल्यू.1	नोटिस धारा 50
11	प्रदर्श पी 11/ पी.डब्ल्यू.1	नोटिस धारा 50
12	प्रदर्श पी 12/ पी.डब्ल्यू.1	फर्द नमूना सील
13	प्रदर्श पी 13/ पी.डब्ल्यू.1	फर्द नष्टीकरण सील
14	प्रदर्श पी 14/ पी.डब्ल्यू.1	फर्द पुनः नमूना सील
15	प्रदर्श पी 15/ पी.डब्ल्यू.1	नोटिस धारा 55

16	प्रदर्श पी 16/ पी.डब्ल्यू.1	प्रथम सूचना रिपोर्ट
17	प्रदर्श पी 17/ पी.डब्ल्यू.1	सूचना धारा 57
18	प्रदर्श पी 18/ पी.डब्ल्यू.1	अग्रेषण पत्र कोटा
19	प्रदर्श पी 19/ पी.डब्ल्यू.1	अग्रेषण पत्र जयपुर
20	प्रदर्श पी 20/ पी.डब्ल्यू.1	मेडिकल पत्र
21	प्रदर्श पी 21/ पी.डब्ल्यू.1	मेडिकल पत्र
22	प्रदर्श पी 22/ पी.डब्ल्यू.1	मेडिकल पत्र
23	प्रदर्श पी 23/ पी.डब्ल्यू.1	एफ एस एल कागजात
24	प्रदर्श पी 24/ पी.डब्ल्यू.1	एफ एस एल रसीद कोटा
25	प्रदर्श पी 25/ पी.डब्ल्यू.1	एफ एस एल रसीद जयपुर
26	प्रदर्श पी 26/ पी.डब्ल्यू.1	रोजनामचा
27	प्रदर्श पी 27/ पी.डब्ल्यू.1	रोजनामचा
31	प्रदर्श पी 28/ पी.डब्ल्यू.1	रोजनामचा
32	प्रदर्श पी 29/ पी.डब्ल्यू.1	इन्वेन्ट्री
33	प्रदर्श पी 30/ पी.डब्ल्यू.1	माल निस्तारण
34	प्रदर्श पी 31/ पी.डब्ल्यू.1	एफ एस एल रिपोर्ट जयपुर
35	प्रदर्श पी 32/ पी.डब्ल्यू.1	रोजनामचा
36	प्रदर्श पी 33/ पी.डब्ल्यू.1	मालखाना रजिस्टर की प्रति
37	प्रदर्श पी 34/ पी.डब्ल्यू.9	मालखाना रजिस्टर
38	प्रदर्श पी 35/ पी.डब्ल्यू.9	नक्शा मौका
39	प्रदर्श पी 35/ पी.डब्ल्यू.9	आपराधिक रिकार्ड
40	प्रदर्श पी 36/ पी.डब्ल्यू.9	एफ एस एल नतीजा
41	प्रदर्श पी 37/ पी.डब्ल्यू.9	आदेशिका इन्वेन्ट्री
42	प्रदर्श पी 38/ पी.डब्ल्यू.9	इन्वेन्ट्री
43	प्रदर्श पी 39/ पी.डब्ल्यू.9	इन्वेन्ट्री प्रमाण पत्र
44	प्रदर्श पी 40-48/ पी.डब्ल्यू.9	फोटोग्राफ्स

<u>बचाव पक्ष की ओर से पेश प्रलेखों की सूची</u>

क्र. सं.	प्रदर्श संख्या	विवरण
	निल	

वस्तु आर्टिकल : - निल

4. अभियोजन साक्ष्य के सम्बन्ध में स्पष्टीकरण हेतु अभियुक्त के कथन अन्तर्गत धारा-313 दण्ड प्रक्रिया संहिता के अधीन लेखबद्ध किये गये, जिसमें अभियुक्तगण द्वारा अभियोजन साक्ष्य को गलत होना बताते हुये स्वयं को निर्दोष होना बताया।

5. बहस अंतिम सुनी गयी। पत्रावली का अवलोकन किया गया।

हस्तगइ प्रकरण में विचारणीय बिन्दु यह है कि:-

(1) क्या दिनांक 12.05.2015 को समय 10.30 पी.एम. पर कस्बा बूंदी में चम्पा बाग में अभियुक्त की तलाशी के दौरान उसके पहनी हुई पेन्ट की दाहिनी जेब से एक थैली में उनके सचेतन कब्जे में मादक पदार्थ स्मैक पाया गया जिसका कुल शुद्ध वजन 7 ग्राम था जिसे अपने कब्जे मे रखने का अभियुक्त के पास कोई वैध अनुज्ञा पत्र नहीं था तथा उक्त मादक पदार्थ उसके द्वारा सह-अभियुक्तगण को सेवन हेतु विक्रय किया गया था ?

(2) यदि अभियोजन सन्देह से परे आरोप प्रमाणित कर पाने में सफल रहा है, तो अभियुक्त को दिये जाने वाले दण्ड की मात्रा क्या होगी ?

6. बहस के माध्यम से विशिष्ट लोक अभियोजक का तर्क रहा है कि अभियोजन साक्ष्य से अभियुक्त के विरुद्ध आरोप प्रमाणित किया जा चुका है। अभियोजन साक्ष्य में आये तुच्छ विरोधाभासों से अभियोजन का प्रकरण प्रभावित नहीं होता है। गश्त के दौरान अचानक सन्देह के आधार पर अभियुक्त की तलाशी ली जाने पर उसके पास से मादक पदार्थ बरामद हुआ है व सह-अभियुक्तगण को सेवन करते हुए पाया गया है, जिस कारण धारा 50 एन.डी.पी.एस. एक्ट के प्रावधानों की पालना किया जाना आवश्यक नहीं है। विभागीय साक्षीगण पर भी अविश्वास किये जाने का कोई कारण नहीं है। अतः अभियुक्त को दोषसिद्ध व दण्डित किये जाने की प्रार्थना की।

अभियुक्त की ओर से विद्वान अधिवक्तागण ने बहस में तर्क किये हैं कि जिस स्थान चम्पा बाग से अभियुक्त को पकड़ना बताया गया है वह एक निजी सम्पत्ति है जिसमें बिना वारण्ट के प्रवेश नहीं कया जा सकता था। साथ ही धारा 50 एन.डी.पी.एस. एक्ट के आज्ञापक प्रावधानों की पालना भी प्रस्तुत मामले में नहीं की गई है। अभियेाजन के गवाह बाहर से चम्पा बाग के अंदर रोशनी नजर आने पर अंदर जाना व मुलजिमान को पकड़ना बताते है जबकि उक्त स्थान की दीवारे इतनी ऊंची हैं कि बाहर से कुछ भी देखना संभव नहीं है, इस तथ्य को पी.डब्ल्यू. 1 ने भी स्वीकार किया है। जो फर्दात् मौके पर बनायी गई हैं, वे सन्देहास्पद हैं, उन्हें ड्रेगन लाईट की रोशनी में बनाना बताया है। जप्तशुदा माल को तोलने के संबंध में भी गवाहान की साक्ष्य में विरोधाभास है एवं स्वतंत्र गवाह भी नहीं बनाये जाने का कारण भी स्पष्ट नहीं है। प्रकरण में मालखाना इंचार्ज को जप्ती का गवाह बनाया गया है, तो यदि मालखाना इंचार्ज मौके पर था तो तत्समय मालखाना का चार्ज किस व्यक्ति के पास था, यह भी प्रमाणित नहीं किया गया है। सरकारी वाहन से जाना बताया है, किन्तु सरकारी वाहन की लॉग बुक पेश नहीं की गई है। मौके पर सील को

नष्ट नहीं किया गया है। अभियुक्त मादक पदार्थ कहाँ से लाया, इस संबंध में कोई अनुसंधान नहीं किया गया है। स्वयं अनुसंधान अधिकारी ने स्वीकार किया है कि इन्वेन्ट्री कार्यवाही के समय वह मौजूद नहीं था। उक्त सभी विरोधाभासों व प्रक्रियागत त्रुटियों के चलते अभियुक्त के विरूद्ध आरोपित अपराध प्रमाणित नहीं होता है। अतः मुलजिम महेश कुमार को दोषमुक्त किये जाने का निवेदन किया। अपने तर्कों के समर्थन में उनकी ओर से निम्न न्यायदृष्टान्त प्रस्तुत किये गये -

1. नान्हा बनाम उत्तरप्रदेश राज्य क्रिमिनल अपील सं. 845/2003
   इलाहाबाद उच्च न्यायालय दि. 08-05-2013
2. बोथी लाल बनाम इन्टेलीजेंस ऑफिसर क्रिमिनल अपील सं. 1185/2011
   सुप्रीम कोर्ट दि. 26-04-2023
3. मांगी लाल बनाम मध्य प्रदेश राज्य क्रिमिनल अपील सं. 1651/2023
   सुप्रीम कोर्ट दि. 12-07-2002
4. हवा सिंह बनाम हरियाणा राज्य
   पंजाब व हरियाणा उच्च न्यायालय दि. 02-09-2005
5. 2004 (4) डब्ल्यू एल सी 493
6. सिमरनजीत सिंह बनाम पंजाब राज्य क्रिमिनल अपील सं. 1443/2023
   सुप्रीम कोर्ट दि. 09-05-2023
7. राजू पाण्डेय बनाम छत्तीसगढ राज्य क्रिमिनल अपील सं. 495/2001
   छत्तीसगढ उच्च न्यायालय दि. 09-12-2022
8. भीम सिंह बनाम पंजाब राज्य क्रिमिनल अपील सं. 2802/2016
   पंजाब व हरियाणा उच्च न्यायालय दि. 19-10-2022
9. रंजन कुमार बनाम हिमाचलप्रदेश राज्य क्रिमिनल अपील सं. 2239/2011
   सुप्रीम कोर्ट दि. 06-10-2023
10. तोफान सिंह बनाम तमिलनाडु राज्य क्रिमिनल अपील सं. 152/2013
    सुप्रीम कोर्ट दि. 29-10-2013
11. पुलुकुरी कोटया बनाम राजा
12. नंदू बनाम मध्यप्रदेश राज्य 1993 (2) म.प्र. वी.नो. 223 म.प्र.

<u>विचारणीय बिन्दु सं. 1:-</u>

7. इस प्रकार हस्तगत प्रकरण में अभियोजन कहानी के अनुसार दिनांक 11.05.2015 को चम्पा बाग में पुलिस थाना कोतवाली, बून्दी के सी.आई. तरूणकान्त सोमानी के द्वारा मय जाब्ता गश्त के दौरान अभियुक्त महेश उर्फ बंटी के कब्जे से कुल 7 ग्राम मादक पदार्थ स्मैक बिना वैध अनुज्ञा-पत्र के बरामद किये जाने तथा अभियुक्त महेश उर्फ बंटी द्वारा रघुनन्दन, शाहिद उर्फ कालू व महावीर को मादक

पदार्थ स्मैक का सेवन किये जाने हेतु विक्रय किये जाने के तथ्य बताये गये है। इस संबंध में अभियोजन द्वारा पत्रावली पर परीक्षित करवाये गये साक्षीगण में स्वयं जब्ती अधिकारी तरूणकान्त सोमानी पी.डब्ल्यू. 1, फर्द जब्ती के गवाह हजारी सिंह पी.डब्ल्यू. 2 व बृजराज सिंह पी.डब्ल्यू. 3 तथा चश्मदीद साक्षी भंवर सिंह सिंह पी.डब्ल्यू. 5 व बुद्धिप्रकाश पी.डब्ल्यू. 7 परीक्षित करवाये गये हैं जो कि अभियुक्त महेश उर्फ बंटी के कब्जे से मादक पदार्थ की कथित बरामदगी के समय घटनास्थल पर उपस्थित होना बताये गये हैं। अतः उक्त साक्षीगण प्रकरण के सर्वाधिक महत्वपूर्ण साक्षीगण हैं।

8. अभियोजन साक्षी तरूणकान्त सोमानी जो कि हस्तगत प्रकरण में जब्ती अधिकारी एवं तत्समय पुलिस थाना कोतवाली, बून्दी में निरीक्षक के पद पर पदस्थापित होना बताया है, को अभियोजन की ओर से गवाह पी.डब्ल्यू. 1 के रूप में परीक्षित करवाया गया है। उक्त साक्षी ने अपने सशपथ बयानों में कथन किये गये हैं कि दिनांक 11.05.2015 को वह थानाधिकारी कोतवाली, बून्दी के पद पर तैनात था, उस दिन समय मय जाप्ता गश्त करता हुआ रामद्वारा से कागजी देवरा की ओर घूमा तो चम्बा बाग के अन्दर हल्की रोशनी नजर आई। शक होने पर मय हमराही जाब्ते के जीप को साइड में रोककर मय चालक के खड़ी कर पैदल पैदल चम्बा बाग पहुँचा तो वहाँ देखा कि कुछ व्यक्ति बार-बार माचिस की तीली जला कर एक चमकीली पन्नी के नीचे तिल्ली जलाकर मुहँ में पाइप लिये हुये पन्नी के उपर से उठते हुये धुएँ को मुँह में खींचते हुये दिखाई दिये। इसके बाद सिगरेट पीते दिखाई दिये। एक व्यक्ति सामने बैठा दिखाई दिया। ड्रेगन लाइट की रोशनी से देखा तो तीन व्यक्ति बायें हाथ में चमकीली पन्नी व दाहिने हाथ में सिगरेटनुमा पाइप को मुँह में लगाये हुये दिखाई दिये व एक व्यक्ति सामने बैठा नजर आया। जिनकी गतिविधियाँ संदिग्ध प्रतीत होने से इनकी तलाशी लिया जाना आवश्यक होने से भॅवरसिंह कानि0 को लिखित में हुक्मनामा देकर स्वतंत्र गवाह की तलबी हेतु भेजा गया, जो वापिस आया और लिखित और मौखिक रूप से बताया कि रात्रि का समय होने और रास्ता सुनसान से कोई गवाह नहीं मिला। इस पर हमराही जाब्ते में से बृजराज सिंह हैड कानि0 व हजारी सिंह हैड कानि0 को स्वतंत्र गवाह मामूर कर उक्त व्यक्तियों से उनके नाम पते पूछे तो उनमें से एक व्यक्ति ने अपना नाम रघुनन्दन शर्मा उर्फ सत्यनारायण, दूसरे ने अपना नाम महेश कुमार शर्मा उर्फ बन्टी, तीसरे ने अपना नाम शाहिद हुसैन उर्फ कालू व चौथे ने अपना नाम महावीर धोबी होना बताया। जिनसे मन एसएचओ ने इतनी रात्रि को सुनसान जगह पर बैठने का कारण पूछा तो कोई सन्तोष पूर्ण जवाब नहीं दिया। उक्त चारों व्यक्तियों पर मादक पदार्थ का नशा करने एवं ऐसे उपकरण रखने का सन्देह होने पर उक्त चारों को धारा 50 एन.डी.पी.एस. एक्ट का नोटिस दिया व उनको तलाशी बाबत कानूनी प्रावधानों की जानकारी देकर अवगत कराया कि वह अपनी तलाशी किसी राजपत्रित अधिकारी या न्यायिक मजिस्ट्रेट या उससे भी लिवा सकते है। इस पर उक्त चारों व्यक्तियों ने अपनी तलाशी उससे लिवाने की लिखित सहमति प्रदान की। इस पर उसने पहले व्यक्ति रघुनन्दन शर्मा उर्फ सत्यनारायण की तलाशी ली तो उसके बायें हाथ में एक सफेद

चमकीली पन्नी दाहिनी हाथ में आधी जली हुई फोरस्क्वायर कम्पनी की सिगरेट, दाहिने पैर के नीचे एक गुलाब छाप माचिस, 5-6 जली माचिस की तीलियाँ व 8-10 साबूत तिलियाँ मिली व पन्नी पर काले रंग तरल पदार्थ सा लगा मिला। जिस पर गवाहान को उक्त पदार्थ को दिखाया, सुघाया व परखाया तो सभी ने मादक पदार्थ स्मैक की गंध आना बताया। स्वयं रघुनन्दन उर्फ सत्यनारायण ने स्मैक पीना भी स्वीकार किया। जिसका उक्त कृत्य धारा 8/27 एनडीपीएस एक्ट के अधीन दण्डनीय होने से स्मैक पीने बाबत अनुज्ञा पत्र चाहा तो नहीं होना बताया। रघुनन्दन के कब्जे में मिली चमकीली पन्नी, आधी जली सिगरेट, 5-6 जली माचिस की तीलियाँ व 8-10 साबूत तिलियाँ व कागज के पाइप को उसी माचिस की डिब्बी में रखकर सफेद कपड़े की थैली में रखकर बृजराज सिंह हैड कानि0 की निजी सील से सील मोहर कर चिट चस्पा कर मार्क-ए अंकित किया। दूसरे व्यक्ति शाहिद हुसैन उर्फ कालू की तलाशी ली तो उसके बाये हाथ में एक सफेद चमकीली पन्नी दाहिनी हाथ में आधी जली हुई फोरस्क्वायर कम्पनी की सिगरेट, दाहिने पैर के नीचे एक गुलाब छाप माचिस, 4-5 जली माचिस की तीलियों के टुकड़े व 7-8 साबूत तिलियाँ मिली व कागज का पाइप मिला। पन्नी पर काले रंग का तरल पदार्थ सा लगा मिला। जिस पर उसने गवाहान को उक्त पदार्थ को दिखाया, सुघाया व परखाया तो सभी ने मादक पदार्थ स्मैक की गंध आना बताया। स्वयं शहिद हुसैन ने भी स्मैक पीना भी स्वीकार किया। जिसका उक्त कृत्य धारा 8/27 एनडीपीएस एक्ट के अधीन दण्डनीय होने से स्मैक पीने बाबत अनुज्ञा पत्र चाहा तो नहीं होना बताया। शाहिद हुसैन के कब्जे में मिली चमकीली पन्नी, आधी जली सिगरेट, 4-5 जली माचिस की तीलियों के टुकड़े व 7-8 साबूत तिलियाँ व कागज के पाइप को उसी माचिस की डिब्बी में रखकर सफेद कपड़े की थैली में रखकर बृजराज सिंह हैड कानि0 की निजी सील से सील मोहर कर चिट चस्पा कर मार्क-बी अंकित किया। तीसरे व्यक्ति महावीर धोबी की तलाशी लेने पर उसके बायें हाथ में एक सफेद चमकीली पन्नी व दाहिने हाथ में आधी जली हुई फोरस्क्वायर कम्पनी की सिगरेट, व चमकीली पन्नी का कागज का पाइप, दाहिने पैर के नीचे एक गुलाब छाप माचिस, 6 जली माचिस की तीलियों के टुकड़े व 10 साबूत तिलियाँ मिली पन्नी पर काले रंग का तरल पदार्थ सा लगा मिला। जिस पर उसने गवाहान को उक्त पदार्थ को दिखाया, सुघाया व परखाया तो सभी ने मादक पदार्थ स्मैक की गंध आना बताया। स्वयं महावीर धोबी ने भी स्मैक पीना स्वीकार किया। जिसका उक्त कृत्य धारा 8/27 एनडीपीएस एक्ट के अधीन दण्डनीय होने से स्मैक पीने बाबत अनुज्ञा पत्र चाहा तो नहीं होना बताया। महावीर धोबी के कब्जे में मिली चमकीली पन्नी, आधी जली सिगरेट, 6 जली माचिस की तीलियों के टुकड़े व 10 साबूत तिलियाँ व कागज के पाइप को उसी माचिस की डिब्बी में रखकर सफेद कपड़े की थैली में रखकर बृजराज सिंह हैड कानि0 की निजी सील से सील मोहर कर चिट चस्पा कर मार्क-सी अंकित किया। चौथे व्यक्ति महेश कुमार शर्मा उर्फ बन्टी की तलाशी ली तो पहनी हुई पेन्ट की दाहिनी जेब में से एक सफेद पॉलिथीन की पारदर्शी जिप लॉक वाली थैली मिली। जिसको चैक किया तो उसमें हल्के भूरे रंग का पाउडर जैसा पदार्थ मिला, जिसको उसने व गवाहान ने सूंघा व परखा तो सभी ने स्मैक होना पाया व स्वयं महेश कुमार उर्फ बन्टी ने भी मादक

Authenticated Document

पदार्थ स्मैक होना स्वीकार किया तथा उसकी पहनी हुई पेन्ट की बाई जेब से कुल 5200 रूपये मिले जिसमें 500 रूपये के आठ नोट, 100 रूपये के दस नोट, बीस के दस नोट मिले। जिनको पूछने पर महेश कुमार उर्फ बन्टी स्मैक बिक्री से प्राप्त राशि होना स्वीकार किया। महेश कुमार के कब्जे से मिले स्मैक पदार्थ को रखने व बेचने बाबत अनुज्ञा पत्र चाहा तो नहीं होना बताया। महेश कुमार के कब्जे से मिली पॉलिथीन की थैली मय स्मैक पदार्थ का वजन इलेक्ट्रोनिक कांटे से किया गया तो कुल वजन सात ग्राम पन्द्रह मिग्रा0 हुआ। खाली पॉलिथीन का वजन पन्द्रह मिग्रा0 तथा शुद्ध स्मैक का वजन सात ग्राम हुआ। इस पर शुद्ध स्मैक में से एक ग्राम स्मैक एफ एस एल जॉच व एक ग्राम स्मैक कन्ट्रोल सेम्पल हेतु लिया जाकर दो अलग-अलग छोटी थैली में रखकर सफेद कपड़े की थैली में डालकर बृजराज सिंह की निजी सील से सील मोहर कर चिट चस्पा कर मार्क क्रमशः डी व ई दिया। शेष माल को उसी पॉलिथीन की थैली में रखकर सफेद कपड़े की थैली में डालकर सील मोहर कर चिट चस्पा कर मार्क एफ दिया तथा महेश शर्मा के कब्जे में मिली स्मैक बिक्री की रकम रूपये 5200 को खाकी लिफाफे में रखकर अन्तर्गत धारा 62 एन.डी.पी.एस. एक्ट के तहत जब्त कर बृजराज सिंह की निजी सील से सील मोहर कर मार्क जी दिया गया। मुलजिमान महावीर धोबी, शाहिद हुसैन, रघुनन्दन शर्मा को अन्तर्गत धारा 8/27 एनडीपीएस एक्ट व मुलजिम महेश कुमार शर्मा को स्मैक पदार्थ के लिये वित्त पोषित करना, मादक पदार्थ उपलब्ध कराना व बिक्री की रकम बरामद होने से धारा 8/21, 8/27ए, व 62 एनडीपीएस एक्ट के तहत गिरफ्तार किया गया। समस्त कार्यवाही की फर्द जब्ती अवैध मादक पदार्थ प्रदर्श पी 1 है, जो मौके पर ही तैयार की गई। फर्द गिरफ्तारी रघुनन्दन, महेश कुमार, शाहिद हुसैन उर्फ कालू एवं महावीर धोबी क्रमशः प्रदर्श पी 2 लगायत पी 5 है, मौके पर कानि0 भॅवरसिंह को स्वतंत्र गवाह की तलबी हेतु लिखित नोटिस देकर रवाना किया, जिसका नोटिस प्रदर्श पी 6 है। मौके पर ही कार्यवाही में स्वतंत्र गवाह बनने हेतु हजारी सिंह हैड कानि0 व वृजराज सिंह हैड कानि0 से लिखित में सहमति प्राप्त की जो प्रदर्श पी 7 है। मुलजिमान महावीर धोबी, रघुनन्दन शर्मा, शाहिद हुसैन एवं महेश कुमार धारा 50 एनडीपीएस एक्ट के तहत नोटिस दिया था, जो क्रमशः प्रदर्श पी 8 लगायत 11 है। मौके पर फर्द नमूना सील बनाई थी, जो प्रदर्श पी 12 है। मौके पर ही उक्त सील को नियमानुसार नष्ट कर फर्द नष्टीकरण नमूना सील बनाई गई जो प्रदर्श पी 13 है। बाद कार्यवाही वापसी थाना पर उपरोक्त मुलजिमान के विरूद्ध मु0नं0 213/2015 अंतर्गत धारा 8/21, 8/27, 8/27ए, 62 एनडीपीएस एक्ट के अन्तर्गत दर्ज कर उच्चाधिकारियों के निर्देशानुसार अनुसंधान अनीस अहमद एसएचओ थाना सदर के सुपुर्द किया था। नियमानुसार जब्तशुदा व सीलशुदा माल मार्क ए लगायत जी को थाने की सील से पुनः सील किया था, जिसकी फर्द पुनः नमूना सील प्रदर्श पी 14 है। प्रकरण में जब्तशुदा माल को मालखाना रजिस्टर में चढाने व जमा करने हेतु हजारी सिंह हैड कानि0 को लिखित में तहरीर दी थी, जो प्रदर्श पी 15 है। चाक एफआईआर प्रदर्श पी 16 है। दिनांक 12.05.2015 को धारा 57 एनडीपीएस एक्ट की सूचना श्रीमान पुलिस अधीक्षक को तथा सीओ बून्दी को नियमानुसार भिजवाई गई। जिसकी द्वितीय प्रति प्रदर्श पी 17 है। जब्तशुदा माल के सेंपल एफएसएल जयपुर भिजवाने

हेतु अग्रेषण पत्र एस पी साहब बून्दी के मार्फत जारी किया था। जो प्रदर्श पी 18 है। एस पी साहब बून्दी के एफ एस एल जयपुर को लिखे अग्रेषण की कार्यालय प्रति प्रदर्श पी 19 है । मुलजिमान सत्यनारायण, शाहिद हुसैन, महेश का स्मैक पीने बाबत चिकित्सकीय परीक्षण कराया था जिसका नतीजा क्रमशः प्रदर्श पी 20 लगायत 22 है। मुलजिमान का रक्त नमूना एफएसएल कोटा को परीक्षण हेतु भिजवाया गया था, जिसका एसपी साहब का अग्रेषण पत्र प्रदर्श पी 23 है। इसकी प्राप्ति रसीद संख्या 725 दिनांक 05.06.2015 है, जो प्रदर्श पी 24 है। एफएसएल जयपुर की प्राप्ति रसीद सं0 नार्को/4573 दिनांक 14.05.2015 प्रदर्श पी 25 है। जो शामिल पत्रावली है। नकल रपट रवानगी सं0 700 दिनांक 11.05.2015, 860 दिनांक 13.05.2015, 1084 दिनांक 16.05.2015, 271 दिनांक 05.06.2015, 320 दिनांक 05.06.2015 रोजनामचा आम क्रमशः प्रदर्श पी 26 लगायत 28 है।इस प्रकरण मे जब्तशुदा माल की इन्वेन्ट्री की कार्यवाही नियमानुसार करवाई गई थी। जिसकी इन्वेंट्री कार्यवाही रिपोर्ट 29 है जो शामिल पत्रावली है तथा इस हेतु जारी तहरीर प्रदर्श पी 30 व एफएसएल जयपुर की नतीजा रिपोर्ट प्रदर्श पी 31 है। नकल रपट नं. 712 दिनांक 12.05.2015 वापसी थाना प्रदर्श पी- 32 है जिस पर ए से बी मेरे हस्ताक्षर है जो शामिल पत्रावली हैं।

बचाव पक्ष की जिरह में बताया कि उसे ध्यान नहीं है कि घटनास्थल के चारों ओर बाउण्ड्री हो रही थी या नहीं, लेकिन खण्डहर था। घटनास्थल चम्बा बाग था। गवाह ने स्वीकार किया कि बाहर से एकदम से अंदर क्या हो रहा है, पता नहीं पड़ता लेकिन रात्रि में आवाजें आने तथा रात्रि में माचिस जलाने से प्रकाश होने का पता चल जाता है कि अंदर कोई है। मौके पर उसके द्वारा किसी राजपत्रित अधिकारी को नहीं बुलवाया गया। माल को उसकी सील से सील मोहर नहीं किया क्योंकि उस वक्त उसके पास निजी सील नहीं थी। कार्यवाही के दौरान उसके द्वारा सील को नियमानुसार नष्ट किया गया था। प्रकरण में उसके द्वारा प्रथम सूचना रिपोर्ट पहले दर्ज की गई है उसके बाद धारा 57 एन.डी.पी.एस. एक्ट की सूचना भिजवायी गई थी। उसने स्मैक सामग्री को चखा नहीं, केवल सूंघने व परखने के आधार पर स्मैक होना पाया था।

9. साक्षी हजारी सिंह पी.डब्ल्यू. 2 जब्ती का गवाह है, जिसने अपने सशपथ बयानों के मुख्य परीक्षण में कथन किया कि दिनांक 11.05.2015 को वह थाना कोतवाली में एचसी के पद पर कार्यरत था। उस रोज एसएचओ तरूणकान्त सोमानी के साथ मय जाब्ता गश्त पर गया तो रामद्वारा के मोड़ से जीप से घूमे तो बाग मे कुछ रोशनी नजर आयी जिस पर एसएचओ के साथ वह सभी भागकर अंदर गये। बाग का नाम चम्पा बाग था। गाड़ी को मोड़ पर ही छोड़ कर अन्दर देखा तो पेड़-पौधे व झाड़ियों मे तीन व्यक्ति नजर आये जो बार-बार माचिस की तीली जलाकर एक चमकीली पन्नी के नीचे लगाकर पन्नी से उठने वाले धुऐ को मुंह में लगे पाईप से धुआं खेचते नजर आये। ड्रेगन लाईट जलाकर यथास्थिति बेठाये रखने की हिदायत दी गई एवं उनके नाम पते पूछे तो एक ने अपना नाम रघुनन्दन उर्फ सत्यनारायण, दूसरे ने शाहिद हुसैन उर्फ कालू, तीसरे ने अपना नाम महावीर धोबी व

चैथे व्यक्ति ने अपना नाम महेश कुमार उर्फ बन्टी होना बताया। उक्त व्यक्तियों का मादक पदार्थ पीने का संदेह होने तथा देर रात इस प्रकार एकान्त में बैठे रहने का कारण पूछने पर कोई संतोषप्रद जवाब नहीं देने से उक्त सभी की चैकिंग व तलाशी कार्यवाही हेतु भंवर सिंह एचसी को लिखित हुक्मनामा देकर स्वतंत्र गवाह लाने के लिए रवाना किया, जिसने वापस आकर बताया कि रात्रि का समय होने व आस-पास सुनसान होने से कोई गवाह उपलब्ध नहीं हुआ। इस पर एस.एच.ओ. ने इस गवाह व बृजराज सिंह से लिखित सहमति प्राप्त कर जाब्ते के गवाह मामूर किया। एसएचओ ने डिटेनशुदा चारों व्यक्तियों को धारा 50 एनडीपीएस एक्ट का नोटिस देते हुए उनको कानूनी अधिकारों से अवगत कराया और बताया कि आप अपनी तलाशी किसी राजपत्रित अधिकारी या न्यायिक मजिस्ट्रेट से लिया सकते हो। इस पर चारों व्यक्तियों ने अपनी तलाशी एस.एच.ओ. से लिवाने हेतु लिखित सहमति प्रदान की। इस पर गवाहान के समक्ष पहले व्यक्ति रघुनन्दन उर्फ सत्यनारायण की तलाशी ली तो उसके बाये हाथ में एक चमकीली पन्नी व दाये हाथ में अधजली सिगरेट फॉरस्क्वायर कम्पनी की व दाहिने पैर की नीचे एक गुलाब छाप माचिस व पांच-छः गली हुई तीलियों के टुकड़े व 8-10 साबुत तीलियां तथा एक कागज सिगरेट का पाईप मिला। पन्नी पर काला पदार्थ लगा था जिसे एसएचओ साहब द्वारा सुंधा गया व गवाहान को भी सुंघाया व दिखाया तो उसमे से स्मैक जैसी गंध आना पाया। स्वयं रघुनन्दन ने भी स्मैक पीना स्वीकार किया। इसी प्रकार दूसरे व्यक्ति शाहिद उर्फ कालू की तलाशी ली तो उसके बाये हाथ में सफेद चमकीली पन्नी, दाये हाथ में अधजली सिगरेट व दाहिने पैर के नीचे गुलाबछाप माचिस व 4-5 जली हुई तीलियां व 7-8 साबुत तीलियां व कागज का एक पाईप मिला, पन्नी पर काले रंग का पदार्थ लगा था जिसको एसएचओ व स्टाफ द्वारा सूंघने पर स्मैक जैसी गन्ध होना पाया तो उसने भी स्मैक पीना स्वीकार किया। इसी प्रकार तीसरे व्यक्ति महावीर धोबी की तलाशी ली तो उसके बायें हाथ में चमकीली पन्नी, दायें हाथ में सिगरेट कागज का पाईप, 4-5 जली हुई तीलियों के टुकड़े तथा 7-8 साबुत तीलिया उसके पैर के पास मिली। पन्नी पर काला पदार्थ लगा था, जिसे एसएचओ व स्टाफ ने सूंघा तो स्मैक जैसी गंध होना पाया। स्वयं ने भी स्मैक पीना स्वीकार किया। तत्पश्चात चौथे व्यक्ति महेश कुमार उर्फ बन्टी की तलाशी ली तो उसके दाहिनी जेब में परादर्शी जिप वाली थैली मिली जिसमे भूरे रंग का पाउडरनुमा पदार्थ रखा था. जिसको एसएचओ साहब व जाब्ता ने सूंघा ती स्मैक होना पाया। स्वयं ने भी स्मैक पीना स्वीकार किया। महेश की पेन्ट की पार्टी जेब में 5200 रूपये मिले, जिनमे 500-500 के 8 नोट, 100-100 के 10 नोट तथा 20-20 के 6 नोट मिले। जिसको महेश ने स्मैक की बिक्री का होना बताया। एसएचओ ने रघुनन्दन उर्फ सत्यनारायण, शाहिद उर्फ कालू, महावीर धोबी, से स्मैक पीने का लाईसेन्स मांगा तो नहीं होना बताया। उक्त तीनों व्यक्तियों का कृत्य 8/27 एन.डी.पी.एस. एक्ट के तहत दण्डनीय अपराध होने से उनके पास मिले स्मैक पीने के उपकरणों को उन्हीं माचिस की डिब्बियों में रखकर उनको कपड़े की थैली मे रखकर पृथक-पृथक सील मोहर कर कमशः मार्क ए. बी. व सी दिया तथा महेश कुमार के कब्जे में मिली स्मैक को इलेक्ट्रॉनिक कांटे से तोला तो स्मैक का वजन मय बारदाना 7 ग्राम 15 मिलीग्राम हुआ तथा शुद्ध स्मैक का वजन 7 ग्राम हुआ,

जिसमे से एक-एक ग्राम स्मैक बतौर एफ.एस.एल. सेम्पल व कन्ट्रोल सेम्पल निकालकर पॉलीथिन की थैली में रखकर तथा कपड़े की थैली में रखकर मार्क डीयइ दिया तथा शेष माल को उसी सफेद कपड़े की थैली में रखकर शील मोहर कर मार्क एफ दिया तथा महेश उर्फ बन्टी के पास मिली स्मैक विकी की रकम 5200 रूपये को खाली लिफाफे में रखकर प्राप्त कर सील मोहर कर मार्क जी दिया। उक्त सभी पैकेट को एसएचओ साहब द्वारा अपनी निजी सील से सील मोहर किया। मुलजिमान को जरिये फर्द गिरफ्तार किया। नमूना सील फर्द, मूर्तिब की गई। बाद कार्यवाही सील को तोड़कर नष्ट किया गया। फर्द नष्टीकरण बनाई। बाद कार्यवाही मय माल व मुलजिमान के गीके से रवाना होकर थाने पर आये जहां एसएचओ ने मुकदमा दर्ज किया जब्तशुदा माल व सेम्पल को थाने की सील से सील्ड मोहर कर जमा मालखाना कराया जिस हेतु गवाह हजारी सिंह के मालखाना इंचार्ज होने के कारण धारा 55 एनडीपीएस एक्ट का नोटिस दिया, जिसकी पालना में गवाह ने मालखाना रजिस्टर में कमांक संख्या 23/15 पर इन्द्राज कर जवाब पेश कर माल को जमा मालखाना किया। जब्त सेम्पल ए. बी.सी.डी. इ. को एफएसएल जयपुर भिजवाया गया जिसकी रसीद निर्मल कानि ने लाकर पेश की जो प्रदर्श पी 25 है मुलजिमान के रक्त नमूने महेश कानि. 305 के साथ एफएसएल कोटा भेजे गये जिसकी रसीद प्रदर्श पी 24 है। फर्द जब्ती प्रदर्श पी 01 फर्द गिरफ्तारी रघुनन्दन प्रदर्श पी 02. फर्व गिरफ्तारी महेश प्रदर्श पी 03, फर्द गिरफ्तारी शाहिद प्रदर्श पी 04, फर्द गिरफ्तारी महावीर प्रदर्श पी 05 होना बताया। इन सभी फर्दात पर गवाहान ने अपने हस्ताक्षर स्वीकार किये। गवाह बनने का सहमति पत्र प्रदश पी 07. फर्द नमूना सील प्रदर्श पी 12, फर्द नष्टीकरण प्रदर्श पी 13, फर्द पुनः नमूना सील प्रदर्श पी 14, धारा 55 एनडीपीएस एक्ट का नोटिस प्रदर्श पी 15, मालखाना रजिस्टर प्रदर्श पी 33 पर भी अपने हस्ताक्षर स्वीकार किये व मालखाना रजिस्टर की प्रमाणित प्रति प्रदर्श पी 33ए होना बताया।

बचाव पक्ष की जिरह में बताया कि सरकारी जीप की लॉग बुक पत्रावली पर नहीं है। चम्पा बाग जैतसागर रोड पर स्थित है, जिसके सामने बस्ती में लोग रहते हैं। चम्पा बाग शहर से ज्यादा दूरी पर नहीं है। चम्पा बाग में जो रोशनी नजर आयी, वह कुछ जलने की थी। मौके पर किसी राजपत्रित अधिकारी को नहीं बुलाया। फर्द जप्ती प्रदर्श पी-1 उसके द्वारा एस एच ओ के निर्देशन में बनाई गई थी, जो गिरफ्तारी से पहले बनाई थी। घटनास्थल पर वे 4-5 व्यक्ति थे। मौके पर मिले माल को मौके पर ही तोल किया था।

10. फर्द जब्ती के अन्य साक्षी बृजराज सिंह पी.डब्ल्यू. 3 ने अपने सशपथ बयानों में बताया कि दिनांक 12.05.2015 को वह थाना कोतवाली बून्दी में हेड कानि के पद पर तैनात था, उस दिन एस एच ओ के साथ गश्त करते हुए रामद्वारा से कागजी देवरा की ओर गये तो चम्बा बाग के अन्दर हल्की रोशनी नजर आई। एस एच ओ को शक होने पर मय हमराही जाब्ते के जीप को साइड में रोककर मय चालक के खड़ी कर पैदल पैदल चम्बा बाग गये तो वहाँ देखा कि कुछ व्यक्ति बार-बार माचिस की तीली जला कर एक चमकीली पन्नी के नीचे तिल्ली जलाकर मुँह में

पाइप लिये हुये पन्नी के उपर से उठते हुये धुएँ को मुँह में खींचते हुये दिखाई दिये। इसके बाद सिगरेट पीते दिखाई दिये। एक व्यक्ति सामने बैठा दिखाई दिया। ड्रेगन लाइट की रोशनी से देखा तो तीन व्यक्ति बायें हाथ में चमकीली पन्नी व दाहिने हाथ में सिगरेटनुमा पाइप को मुँह में लगाये हुये दिखाई दिये व एक व्यक्ति सामने बैठा नजर आया। इनकी तलाशी लिया जाना आवश्यक होने से भॅंवरसिंह कानि0 को लिखित में हुक्मनामा देकर स्वतंत्र गवाह की तलबी हेतु भेजा गया, जिसने वापिस आकर लिखित और मौखिक रूप से बताया कि रात्रि का समय होने और रास्ता सुनसान से कोई गवाह नहीं मिला। इस पर हमराही जाब्ते में से उसे व हजारी सिंह हैड कानि0 को स्वतंत्र गवाह मामूर कर उक्त व्यक्तियों से उनके नाम पते पूछे तो उनमें से एक व्यक्ति ने अपना नाम रघुनन्दन शर्मा उर्फ सत्यनारायण, दूसरे ने अपना नाम महेश कुमार शर्मा उर्फ बन्टी, तीसरे ने अपना नाम शाहिद हुसैन उर्फ कालू व चैथे ने अपना नाम महावीर धोबी का होना बताया। जिनसे एसएचओ ने इतनी रात्रि को सुनसान जगह पर बैठने का कारण पूछा तो कोई सन्तोष पूर्ण जवाब नहीं दिया। उक्त चारों व्यक्तियों पर मादक पदार्थ का नशा करने एवं ऐसे उपकरण रखने का सन्देह होने पर उक्त चारों को धारा 50 एन.डी.पी.एस. एक्ट का नोटिस दिया व उनको तलाशी बाबत कानूनी प्रावधानों की जानकारी देकर अवगत कराया कि वह अपनी तलाशी किसी राजपत्रित अधिकारी या न्यायिक मजिस्ट्रेट या एसएचओ से भी लिवा सकते है। इस पर उक्त चारों व्यक्तियों ने अपनी तलाशी एसएचओ से लिवाने की लिखित सहमति प्रदान की। इस पर पहले व्यक्ति रघुनन्दन शर्मा उर्फ सत्यनारायण की तलाशी ली तो उसके बायें हाथ में एक सफेद चमकीली पन्नी दाहिनी हाथ में आधी जली हुई फोरस्क्वायर कम्पनी की सिगरेट, दाहिने पैर के नीचे एक गुलाब छाप माचिस, 5-6 जली माचिस की तीलियाँ व 8-10 साबूत तिलियाँ मिली व पन्नी पर काले रंग तरल पदार्थ सा लगा मिला। जिस पर गवाहान को उक्त पदार्थ को दिखाया, सुघाया व परखाया तो सभी ने मादक पदार्थ स्मैक की गंध आना बताया। स्वयं रघुनन्दन उर्फ सत्यनारायण ने स्मैक पीना भी स्वीकार किया। जिसका उक्त कृत्य धारा 8/27 एनडीपीएस एक्ट के अधीन दण्डनीय होने से स्मैक पीने बाबत अनुज्ञा पत्र चाहा तो नहीं होना बताया। रघुनन्दन के कब्जे में मिली चमकीली पन्नी, आधी जली सिगरेट, 5-6 जली माचिस की तीलियाँ व 8-10 साबूत तिलियाँ व कागज के पाइप को उसी माचिस की डिब्बी में रखकर सफेद कपड़े की थैली में रखकर उसकी निजी सील से सील मोहर कर चिट चस्पा कर मार्क-ए अंकित किया। दूसरे व्यक्ति शाहिद हुसैन उर्फ कालू की तलाशी ली तो उसके बायें हाथ में एक सफेद चमकीली पन्नी दाहिनी हाथ में आधी जली हुई फोरस्क्वायर कम्पनी की सिगरेट, दाहिने पैर के नीचे एक गुलाब छाप माचिस, 4-5 जली माचिस की तीलियों के टुकड़े व 7-8 साबूत तिलियाँ मिली व कागज का पाइप मिला। पन्नी पर काले रंग का तरल पदार्थ सा लगा मिला। जिस पर एसएचओ ने गवाहान को उक्त पदार्थ को दिखाया, सुघाया व परखाया तो सभी ने मादक पदार्थ स्मैक की गंध आना बताया। स्वयं शहिद हुसैन ने भी स्मैक पीना भी स्वीकार किया। जिसका उक्त कृत्य धारा 8/27 एनडीपीएस एक्ट के अधीन दण्डनीय होने से स्मैक पीने बाबत अनुज्ञा पत्र चाहा तो नहीं होना बताया। शाहिद हुसैन के कब्जे में मिली चमकीली पन्नी, आधी जली सिगरेट, 4-5 जली

माचिस की तीलियों के टुकड़े व 7-8 साबूत तिलियाँ व कागज के पाइप को उसी माचिस की डिब्बी में रखकर सफेद कपड़े की थैली में रखकर उसकी निजी सील से सील मोहर कर चिट चस्पा कर मार्क-बी अंकित किया। तीसरे व्यक्ति महावीर धोबी की तलाशी लेने पर उसके बायें हाथ में एक सफेद चमकीली पन्नी व दाहिने हाथ में आधी जली हुई फोरस्क्वायर कम्पनी की सिगरेट, व चमकीली पन्नी का कागज का पाइप, दाहिने पैर के नीचे एक गुलाब छाप माचिस, 6 जली माचिस की तीलियों के टुकड़े व 10 साबूत तिलियाँ मिली पन्नी पर काले रंग का तरल पदार्थ सा लगा मिला। जिस पर एस.एच.ओ. ने गवाहान को उक्त पदार्थ को दिखाया, सुंघाया व परखाया तो सभी ने मादक पदार्थ स्मैक की गंध आना बताया। स्वयं महावीर धोबी ने भी स्मैक पीना स्वीकार किया। जिसका उक्त कृत्य धारा 8/27 एनडीपीएस एक्ट के अधीन दण्डनीय होने से स्मैक पीने बाबत अनुज्ञा पत्र चाहा तो नहीं होना बताया। महावीर धोबी के कब्जे में मिली चमकीली पन्नी, आधी जली सिगरेट, 6 जली माचिस की तीलियों के टुकड़े व 10 साबूत तिलियां व कागज के पाइप को उसी माचिस की डिब्बी में रखकर सफेद कपड़े की थैली में रखकर उसकी निजी सील से सील मोहर कर चिट चस्पा कर मार्क-सी अंकित किया। चौथे व्यक्ति महेश कुमार शर्मा उर्फ बन्टी की तलाशी एसएचओ ने ली तो पहनी हुई पेन्ट की दाहिनी जेब में से एक सफेद पॉलिथीन की पारदर्शी जिप लॉक वाली थैली मिली। जिसको चैक किया तो उसमें हल्के भूरे रंग का पाउडर जैसा पदार्थ मिला, जिसको एसएचओ व गवाहान ने सूंघा व परखा तो सभी ने स्मैक होना पाया व स्वयं महेश कुमार उर्फ बन्टी ने भी मादक पदार्थ स्मैक होना स्वीकार किया तथा उसकी पहनी हुई पेन्ट की बाई जेब से कुल 5200 रूपये मिले जिसमें 500 रूपये के आठ नोट, 100 रूपये के दस नोट, बीस के दस नोट मिले। जिनको पूछने पर महेश कुमार उर्फ बन्टी स्मैक बिक्री से प्राप्त राशि होना स्वीकार किया। महेश कुमार के कब्जे से मिले स्मैक पदार्थ को रखने व बेचने बाबत अनुज्ञा पत्र चाहा तो नहीं होना बताया। महेश कुमार के कब्जे से मिली पॉलिथीन की थैली मय स्मैक पदार्थ का वजन इलेक्ट्रोनिक कांटे से किया गया तो कुल वजन सात ग्राम पन्द्रह मिग्रा0 हुआ। खाली पॉलिथीन का वजन पन्द्रह मिग्रा0 तथा शुद्ध स्मैक का वजन सात ग्राम हुआ। इस पर शुद्ध स्मैक में से एक ग्राम स्मैक एफ एस एल जॉच व एक ग्राम स्मैक कन्ट्रोल सेम्पल हेतु लिया जाकर दो अलग-अलग छोटी थैली में रखकर सफेद कपड़े की थैली में डालकर उसकी निजी सील से सील मोहर कर चिट चस्पा कर मार्क क्रमशः डी व ई दिया। शेष माल को उसी पॉलिथीन की थैली में रखकर सफेद कपड़े की थैली में डालकर सील मोहर कर चिट चस्पा कर मार्क एफ दिया तथा महेश शर्मा के कब्जे में मिली स्मैक बिक्री की रकम रूपये 5200 को खाकी लिफाफे में रखकर अन्तर्गत धारा 62 एनडीपीएस एक्ट के तहत जब्त कर निजी सील से सील मोहर कर मार्क जी दिया गया। मुलजिमान महावीर धोबी, शाहिद हुसैन, रघुनन्दन शर्मा को अन्तर्गत धारा 8/27 एनडीपीएस एक्ट व मुलजिम महेश कुमार शर्मा को स्मैक पदार्थ के लिये वित्त पोषित करना, मादक पदार्थ उपलब्ध कराना व बिक्री की रकम बरामद होने से धारा 8/21, 8/27ए, व 62 एनडीपीएस एक्ट के तहत गिरफ्तार किया गया। समस्त कार्यवाही की फर्द जब्ती अवैध मादक पदार्थ प्रदर्श पी 1 है, जो मौके पर ही तैयार की गई। फर्द

गिरफ्तारी रघुनन्दन, महेश कुमार, शाहिद हुसैन उर्फ कालू एवं महावीर धोबी क्रमशः प्रदर्श पी 2 लगायत पी 5 है। मौके पर ही कार्यवाही में स्वतंत्र गवाह बनने हेतु उससे लिखित में सहमति प्राप्त की जो प्रदर्श पी 7 है। मौके पर फर्द नमूना सील बनाई थी, जो प्रदर्श पी 12 है। मौके पर ही उक्त सील को नियमानुसार नष्ट कर फर्द नष्टीकरण नमूना सील बनाई गई जो प्रदर्श पी 13 है। बाद कार्यवाही वापस थाना आकर नियमानुसार जब्तशुदा व सीलशुदा माल मार्क ए लगायत जी को थाने की सील से पुनः सील किया था, जिसकी फर्द पुनः नमूना सील प्रदर्श पी 14 है।

बचाव पक्ष की जिरह में बताया कि वे कोतवाली से निकले तो रवानगी रपट डाली थी। चम्पा बाग के चारों ओर दीवार है किन्तु टूटी-फूटी है, उसमें कहीं से भी आ-जा सकते हैं। स्वतंत्र गवाह लाने भंवर सिंह को भेजा था। जब्ती अधिकारी ने उसके सामने किसी न्ययिक मजिस्ट्रेट या राजपत्रित अधिकारी को बुलाने नहीं भेजा। चम्पा बाग के पास ही जलदाय विभाग का कार्यालय स्थित है। गवाह ने स्वीकार किया कि धारा 50 एन.डी.पी.एस. एक्ट का जवाब प्रदर्श पी-8 लगायत प्रदर्श पी-11 की इबारत एकजैसी है।

11. साक्षी भंवर सिंह पी.डब्ल्यू. 5 वक्त घटना जाब्ता के साथ मौके पर उपस्थित था, जिसे प्रत्यक्षदर्शी साक्षी के रूप में परीक्षित करवाया गया है, इस साक्षी ने अपने सशपथ बयानों में बताया कि वह दिनांक 11.05.2015 को थाना कोतवाली बून्दी में कानि के पद पर तैनात था। उस दिन एस एच ओ के साथ गश्त पर गया तो रामद्वारा से कागजी देवरा की ओर घूमे वहाँ चम्पा बाग के अन्दर हल्की रोशनी नजर आई। एसएचओ साहब को शक होने पर मय हमराही जाब्ते के जीप को साइड में रोककर मय चालक के खड़ी कर पैदल-पैदल चम्पा बाग पहुँचे तो वहाँ देखा कि कुछ व्यक्ति बार-बार माचिस की तीली जला कर एक चमकीली पन्नी के नीचे तिल्ली जलाकर मुँह में पाइप लिये हुये पन्नी के उपर से उठते हुये धुएँ को मुँह में खींचते हुये दिखाई दिये। इसके बाद सिगरेट पीते दिखाई दिये। एक व्यक्ति सामने बैठा दिखाई दिया। ड्रेगन लाइट की रोशनी से देखा तो तीन व्यक्ति बाये हाथ में चमकीली पन्नी व दाहिने हाथ में सिगरेटनुमा पाइप को मुँह में लगाये हुये दिखाई दिये व एक व्यक्ति सामने बैठा नजर आया। जिनकी गतिविधियाँ संदिग्ध प्रतीत होने से इनकी तलाशी लिया जाना आवश्यक होने से उसे एस.एच.ओ. ने लिखित में हुक्मनामा देकर स्वतंत्र गवाह की तलबी हेतु भेजा, उसने आस-पास स्वतंत्र गवाहों को तलाश किया और करीब 15 मिनट बाद वापिस आकर लिखित और मौखिक रूप से बताया कि रात्रि का समय होने और रास्ता सुनसान होने से कोई गवाह नहीं मिला। इस पर हमराही जाब्ते में से एसएचओ ने बृजराज हैड कानि. व हजारी सिंह हैड कानि0 को स्वतंत्र गवाह मामूर कर अपने नाम व पद का पूर्ण परिचय देते हुये उक्त व्यक्तियों से उनके नाम पते पूछे तो उनमें से एक व्यक्ति ने अपना नाम रघुनन्दन शर्मा उर्फ सत्यनारायण, दूसरे ने अपना नाम महेश कुमार शर्मा उर्फ बन्टी, तीसरे ने अपना नाम शाहिद हुसैन उर्फ कालू व चौथे ने अपना नाम महावीर धोबी होना बताया। जिनसे एसएचओ ने इतनी रात्रि को सुनसान जगह पर बैठने का कारण पूछा तो कोई सन्तोषपूर्ण जवाब नहीं दिया। उक्त चारों व्यक्तियों पर मादक पदार्थ का नशा करने एवं

Authenticated Document

ऐसे उपकरण रखने का सन्देह होने पर उक्त चारों को धारा 50 एनडीपीएस एक्ट का नोटिस दिया व उनको तलाशी बाबत कानूनी प्रावधानों की जानकारी देकर अवगत कराया कि वह अपनी तलाशी किसी राजपत्रित अधिकारी या न्यायिक मजिस्ट्रेट या एसएचओ से भी लिवा सकते है। इस पर उक्त चारों व्यक्तियों ने अपनी तलाशी एसएचओ से लिवाने की लिखित सहमति प्रदान की। इस पर एसएचओ ने पहले व्यक्ति रघुनन्दन शर्मा उर्फ सत्यनारायण की तलाशी ली तो उसके बायें हाथ में एक सफेद चमकीली पन्नी दाहिनी हाथ में आधी जली हुई फोरस्क्वायर कम्पनी की सिगरेट, दाहिने पैर के नीचे एक गुलाब छाप माचिस, 5-6 जली माचिस की तीलियाँ व 8-10 साबूत तिलियाँ मिली व पन्नी पर काले रंग तरल पदार्थ सा लगा मिला। जिस पर गवाहान को उक्त पदार्थ को दिखाया, सुघाया व परखाया तो सभी ने मादक पदार्थ स्मैक की गंध आना बताया। स्वयं रघुनन्दन उर्फ सत्यनारायण ने स्मैक पीना भी स्वीकार किया। जिसका उक्त कृत्य धारा 8/27 एनडीपीएस एक्ट के अधीन दण्डनीय होने से स्मैक पीने बाबत अनुज्ञा पत्र चाहा तो नहीं होना बताया। रघुनन्दन के कब्जे में मिली चमकीली पन्नी, आधी जली सिगरेट, 5-6 जली माचिस की तीलियाँ व 8-10 साबूत तिलियाँ व कागज के पाइप को उसी माचिस की डिब्बी में रखकर सफेद कपड़े की थैली में रखकर बृजरासिंह एचसी की निजी सील से सील मोहर कर चिट चस्पा कर मार्क-ए अंकित किया। दूसरे व्यक्ति शाहिद हुसैन उर्फ कालू की तलाशी ली तो उसके बायें हाथ में एक सफेद चमकीली पन्नी दाहिनी हाथ में आधी जली हुई फोरस्क्वायर कम्पनी की सिगरेट, दाहिने पैर के नीचे एक गुलाब छाप माचिस, 4-5 जली माचिस की तीलियों के टुकड़े व 7-8 साबूत तिलियाँ मिली व कागज का पाइप मिला। पन्नी पर काले रंग का तरल पदार्थ सा लगा मिला। जिस पर एसएचओ ने गवाहान को उक्त पदार्थ को दिखाया, सुघाया व परखाया तो सभी ने मादक पदार्थ स्मैक की गंध आना बताया। स्वयं शहिद हुसैन ने भी स्मैक पीना भी स्वीकार किया। जिसका उक्त कृत्य धारा 8/27 एनडीपीएस एक्ट के अधीन दण्डनीय होने से स्मैक पीने बाबत अनुज्ञा पत्र चाहा तो नहीं होना बताया। शाहिद हुसैन के कब्जे में मिली चमकीली पन्नी, आधी जली सिगरेट, 4-5 जली माचिस की तीलियों के टुकड़े व 7-8 साबूत तिलियां व कागज के पाइप को उसी माचिस की डिब्बी में रखकर सफेद कपड़े की थैली में रखकर बृजराजसिंह एचसी की निजी सील से सील मोहर कर चिट चस्पा कर मार्क-बी अंकित किया। तीसरे व्यक्ति महावीर धोबी की तलाशी लेने पर उसके बायें हाथ में एक सफेद चमकीली पन्नी व दाहिने हाथ में आधी जली हुई फोरस्क्वायर कम्पनी की सिगरेट, व चमकीली पन्नी का कागज का पाइप, दाहिने पैर के नीचे एक गुलाब छाप माचिस, 6 जली माचिस की तीलियों के टुकड़े व 10 साबूत तिलियाँ मिली पन्नी पर काले रंग का तरल पदार्थ सा लगा मिला। जिस पर एसएचओ ने गवाहान को उक्त पदार्थ को दिखाया, सुघाया व परखाया तो सभी ने मादक पदार्थ स्मैक की गंध आना बताया। स्वयं महावीर धोबी ने भी स्मैक पीना स्वीकार किया। जिसका उक्त कृत्य धारा 8/27 एनडीपीएस एक्ट के अधीन दण्डनीय होने से स्मैक पीने बाबत अनुज्ञा पत्र चाहा तो नहीं होना बताया। महावीर धोबी के कब्जे में मिली चमकीली पन्नी, आधी जली सिगरेट, 6 जली माचिस की तीलियों के टुकड़े व 10 साबूत तिलियाँ व कागज के पाइप को उसी

माचिस की डिब्बी में रखकर सफेद कपड़े की थैली में रखकर बृजराजसिंह एचसी की निजी सील से सील मोहर कर चिट चस्पा कर मार्क-सी अंकित किया। चौथे व्यक्ति महेश कुमार शर्मा उर्फ बन्टी की तलाशी एसएचओ ने ली तो पहनी हुई पेन्ट की दाहिनी जेब में से एक सफेद पॉलिथीन की पारदर्शी जिप लॉक वाली थैली मिली। जिसको चैक किया तो उसमें हल्के भूरे रंग का पाउडर जैसा पदार्थ मिला, जिसको एसएचओ व गवाहान ने सूंघा व परखा तो सभी ने स्मैक होना पाया व स्वयं महेश कुमार उर्फ बन्टी ने भी मादक पदार्थ स्मैक होना स्वीकार किया तथा उसकी पहनी हुई पेन्ट की बाई जेब से कुल 5200 रूपये मिले जिसमें 500 रूपये के आठ नोट, 100 रूपये के दस नोट, बीस के दस नोट मिले। जिनको पूछने पर महेश कुमार उर्फ बन्टी स्मैक बिक्री से प्राप्त राशि होना स्वीकार किया। महेश कुमार के कब्जे से मिले स्मैक पदार्थ को रखने व बेचने बाबत अनुज्ञा पत्र चाहा तो नहीं होना बताया। महेश कुमार के कब्जे से मिली पॉलिथीन की थैली मय स्मैक पदार्थ का वजन इलेक्ट्रिानिक कांटे से किया गया तो कुल वजन सात ग्राम पन्द्रह मिग्रा0 हुआ। खाली पॉलिथीन का वजन पन्द्रह मिग्रा0 तथा शुद्ध स्मैक का वजन सात ग्राम हुआ। इस पर शुद्ध स्मैक में से एक ग्राम स्मैक एफ एस एल जॉच व एक ग्राम स्मैक कन्ट्रोल सेम्पल हेतु लिया जाकर दो अलग-अलग छोटी थैली में रखकर सफेद कपड़े की थैली में डालकर बृजराजसिंह एचसी की निजी सील से सील मोहर कर चिट चस्पा कर मार्क क्रमशः डी व ई दिया। शेष माल को उसी पॉलिथीन की थैली में रखकर सफेद कपड़े की थैली में डालकर सील मोहर कर चिट चस्पा कर मार्क एफ दिया तथा महेश शर्मा के कब्जे में मिली स्मैक बिक्री की रकम रूपये 5200 को खाकी लिफाफे में रखकर अन्तर्गत धारा 62 एनडीपीएस एक्ट के तहत जब्त कर बृजराजसिंह एचसी की निजी सील से सील मोहर कर मार्क जी दिया गया। मुलजिमान महावीर धोबी, शाहिद हुसैन, रघुनन्दन शर्मा को अन्तर्गत धारा 8/27 एनडीपीएस एक्ट व मुलजिम महेश कुमार शर्मा को स्मैक पदार्थ के लिये वित्त पोषित करना, मादक पदार्थ उपलब्ध कराना व बिक्री की रकम बरामद होने से धारा 8/21, 8/27ए, व 62 एनडीपीएस एक्ट के तहत गिरफ्तार किया गया। समस्त कार्यवाही की फर्द जब्ती अवैध मादक पदार्थ प्रदर्श पी 1 है, जो मौके पर ही तैयार की गई। स्वतंत्र गवाह हेतु लाने हेतु दिया गया हुक्मनामा प्रदर्श पी 06 है।

बचाव पक्ष की जिरह में बताया कि चम्पा बाग के दो रास्ते हैं, वे कागजी देवरा की तरफ से गये थे। चम्पा बाग के मालिक को मुलजिम नहीं बनाया। गवाह ने स्वीकार किया कि प्राईवेट स्थान पर जाने के लिये वारण्ट लेना पड़ता है और उन लोगों ने नहीं लिया था। घटनास्थल के आसपास मंदिर, मस्जिद व मकान बने हुए हैं। वक् घटना गर्मी का समय था। स्वतंत्र गवाह के लिये जलदाय विभाग के ऑफिस में नहीं गया। मुलजिमान को जो नोटिस दिया है उसमें प्रदर्श पी-8 से प्रदर्श पी-11 में एक ही इबारत लिखी हुई है। प्रदर्श पी-8, 9 व 11 की लेखनी एक जैसी है, जो किस मुलजिम की है, वह नहीं बता सकता। मुलजिम महेश के पास 5200/- रूपये थे। समस्त फर्दात पर बृजराज सिंह हैड कानि. की निजी मोहर लगी थी। जब्तशुदा माल हाजिर अदालत नहीं है। वे सरकारी जीप से गये थे, सरकारी जीप की

लॉग बुक भरी या नहीं, उसे नहीं पता। फर्द जब्ती मुलजिमान को गिरफ्तार करने से पहले बनायी थी। उन्होंने चारों के पास से स्मैक बरमद नहीं की थी, बल्कि सिर्फ महेश के पास से की थी। गवाह ने स्वीकार किया कि बाकी तीनों के पास किसी प्रकार का कोई मादक पदार्थ नहीं था, ना ही बरामद हुआ।

12. मौके पर उपस्थित एक अन्य गवाह बुद्धिप्रकाश पी.डब्ल्यू. 7 के रूप में परीक्षित हुआ है, जिसने अपने सशपथ बयानों के मुख्य परीक्षण में बताया कि वह दिनांक 11.05.2015 को थाना कोतवाली बून्दी में कानि के पद पर तैनात था, उस दिन एसएचओ तरूणकांत सोमाणी के साथ गश्त करते हुए रामद्वारा से कागजी देवरा की ओर घूमे तो चम्पा बाग के अन्दर हल्की रोशनी नजर आई। एसएचओ साहब को शक होने पर मय हमराही जाब्ते के जीप को साइड में रोककर मय चालक के खड़ी कर पैदल-पैदल चम्पा बाग पहुँचे तो वहाँ देखा कि कुछ व्यक्ति बार-बार माचिस की तीली जला कर एक चमकीली पन्नी के नीचे तिल्ली जलाकर मुँह में पाइप लिये हुये पन्नी के उपर से उठते हुये धुऐं को मुँह में खींचते हुये दिखाई दिये। इसके बाद सिगरेट पीते दिखाई दिये। एक व्यक्ति सामने बैठा दिखाई दिया। ड्रेगन लाइट की रोशनी से देखा तो तीन व्यक्ति बायें हाथ में चमकीली पन्नी व दाहिने हाथ में सिगरेटनुमा पाइप को मुँह में लगाये हुये दिखाई दिये व एक व्यक्ति सामने बैठा नजर आया। जिनकी गतिविधियाँ संदिग्ध प्रतीत होने से इनकी तलाशी लिया जाना आवश्यक होने से भँवरसिंह कानि0 को एसएचओ ने लिखित में हुक्मनामा देकर स्वतंत्र गवाह की तलबी हेतु भेजा, उसने आस-पास स्वतंत्र गवाहों को तलाश किया और वापिस आकर लिखित और मौखिक रूप से बताया कि रात्रि का समय होने और रास्ता सुनसान होने से कोई गवाह नहीं मिला। इस पर एसएचओ ने बृजराज हैड कानि. व हजारी सिंह हैड कानि0 को स्वतंत्र गवाह मामूर कर अपने नाम व पद का पूर्ण परिचय देते हुये उक्त व्यक्तियों से उनके नाम पते पूछे तो उनमें से एक व्यक्ति ने अपना नाम रघुनन्दन शर्मा उर्फ सत्यनारायण, दूसरे ने अपना नाम महेश कुमार शर्मा उर्फ बन्टी, तीसरे ने अपना नाम शाहिद हुसैन उर्फ कालू व चौथे ने अपना नाम महावीर धोबी होना बताया। जिनसे एसएचओ ने इतनी रात्रि को सुनसान जगह पर बैठने का कारण पूछा तो कोई सन्तोष पूर्ण जवाब नहीं दिया। उक्त चारों व्यक्तियों पर मादक पदार्थ का नशा करने एवं ऐसे उपकरण रखने का सन्देह होने पर उक्त चारों को धारा 50 एन.डी.पी.एस. एक्ट का नोटिस दिया व उनको तलाशी बाबत कानूनी प्रावधानों की जानकारी देकर अवगत कराया कि वह अपनी तलाशी किसी राजपत्रित अधिकारी या न्यायिक मजिस्ट्रेट या एस.एच.ओ. से भी लिवा सकते है। इस पर उक्त चारों व्यक्तियों ने अपनी तलाशी एस.एच.ओ. से लिवाने की लिखित सहमति प्रदान की। इस पर एस.एच.ओ. ने पहले व्यक्ति रघुनन्दन शर्मा उर्फ सत्यनारायण की तलाशी ली तो उसके बायें हाथ में एक सफेद चमकीली पन्नी दाहिनी हाथ में आधी जली हुई फोरस्क्वायर कम्पनी की सिगरेट, दाहिने पैर के नीचे एक गुलाब छाप माचिस, 5-6 जली माचिस की तीलियाँ व 8-10 साबूत तिलियाँ मिली व पन्नी पर काले रंग तरल पदार्थ सा लगा मिला। जिस पर गवाहान को उक्त पदार्थ को दिखाया, सुघाया व परखाया तो सभी ने मादक पदार्थ स्मैक की गंध आना बताया। स्वयं

रघुनन्दन उर्फ सत्यनारायण ने स्मैक पीना भी स्वीकार किया। जिसका उक्त कृत्य धारा 8/27 एनडीपीएस एक्ट के अधीन दण्डनीय होने से स्मैक पीने बाबत अनुज्ञा पत्र चाहा तो नहीं होना बताया। रघुनन्दन के कब्जे में मिली चमकीली पन्नी, आधी जली सिगरेट, 5-6 जली माचिस की तीलियाँ व 8-10 साबूत तिलियाँ व कागज के पाइप को उसी माचिस की डिब्बी में रखकर सफेद कपड़े की थैली में रखकर बृजरासिंह एचसी की निजी सील से सील मोहर कर चिट चस्पा कर मार्क-ए अंकित किया। इसी प्रकार एसएचओ ने दूसरे व्यक्ति शाहिद हुसैन उर्फ कालू की तलाशी ली तो उसके बायें हाथ में एक सफेद चमकीली पन्नी दाहिनी हाथ में आधी जली हुई फोरस्क्वायर कम्पनी की सिगरेट, दाहिने पैर के नीचे एक गुलाब छाप माचिस, 4-5 जली माचिस की तीलियों के टुकड़े व 7-8 साबूत तिलियाँ मिली व कागज का पाइप मिला। पन्नी पर काले रंग का तरल पदार्थ सा लगा मिला। जिस पर एस.एच.ओ. ने गवाहान को उक्त पदार्थ को दिखाया, सुंघाया व परखाया तो सभी ने मादक पदार्थ स्मैक की गंध आना बताया। स्वयं शहिद हुसैन ने भी स्मैक पीना भी स्वीकार किया। जिसका उक्त कृत्य धारा 8/27 एनडीपीएस एक्ट के अधीन दण्डनीय होने से स्मैक पीने बाबत अनुज्ञा पत्र चाहा तो नहीं होना बताया। शाहिद हुसैन के कब्जे में मिली चमकीली पन्नी, आधी जली सिगरेट, 4-5 जली माचिस की तीलियों के टुकड़े व 7-8 साबूत तिलियाँ व कागज के पाइप को उसी माचिस की डिब्बी में रखकर सफेद कपड़े की थैली में रखकर बृजराजसिंह एच.सी. की निजी सील से सील मोहर कर चिट चस्पा कर मार्क-बी अंकित किया। एस.एच.ओ. ने मामूरा गवाहान के समक्ष तीसरे व्यक्ति महावीर धोबी की तलाशी लेने पर उसके बायें हाथ में एक सफेद चमकीली पन्नी व दाहिने हाथ में आधी जली हुई फोरस्क्वायर कम्पनी की सिगरेट, व चमकीली पन्नी का कागज का पाइप, दाहिने पैर के नीचे एक गुलाब छाप माचिस, 6 जली माचिस की तीलियों के टुकड़े व 10 साबूत तिलियां मिली पन्नी पर काले रंग का तरल पदार्थ सा लगा मिला। जिस पर एसएचओ ने गवाहान को उक्त पदार्थ को दिखाया, सुघाया व परखाया तो सभी ने मादक पदार्थ स्मैक की गंध आना बताया। स्वयं महावीर धोबी ने भी स्मैक पीना स्वीकार किया। जिसका उक्त कृत्य धारा 8/27 एनडीपीएस एक्ट के अधीन दण्डनीय होने से स्मैक पीने बाबत अनुज्ञा पत्र चाहा तो नहीं होना बताया। महावीर धोबी के कब्जे में मिली चमकीली पन्नी, आधी जली सिगरेट, 6 जली माचिस की तीलियों के टुकड़े व 10 साबूत तिलियां व कागज के पाइप को उसी माचिस की डिब्बी में रखकर सफेद कपड़े की थैली में रखकर बृजराजसिंह एच.सी. की निजी सील से सील मोहर कर चिट चस्पा कर मार्क-सी अंकित किया। चौथे व्यक्ति महेश कुमार शर्मा उर्फ बन्टी की तलाशी एस.एच.ओ. ने ली तो पहनी हुई पेन्ट की दाहिनी जेब में से एक सफेद पॉलिथीन की पारदर्शी जिप लॉक वाली थैली मिली। जिसको चैक किया तो उसमें हल्के भूरे रंग का पाउडर जैसा पदार्थ मिला, जिसको एसएचओ व गवाहान ने सूंघा व परखा तो सभी ने स्मैक होना पाया व स्वयं महेश कुमार उर्फ बन्टी ने भी मादक पदार्थ स्मैक होना स्वीकार किया तथा उसकी पहनी हुई पेन्ट की बाईं जेब से कुल 5200 रूपये मिले जिसमें 500 रूपये के आठ नोट, 100 रूपये के दस नोट, बीस के दस नोट मिले। जिनको पूछने पर महेश कुमार उर्फ बन्टी स्मैक बिक्री से प्राप्त राशि होना स्वीकार किया। महेश

कुमार के कब्जे से मिले स्मैक पदार्थ को रखने व बेचने बाबत अनुज्ञा पत्र चाहा तो नहीं होना बताया। महेश कुमार के कब्जे से मिली पॉलिथीन की थैली मय स्मैक पदार्थ का वजन इलेक्ट्रिानिक कांटे से किया गया तो कुल वजन सात ग्राम पन्द्रह मिग्रा0 हुआ। खाली पॉलिथीन का वजन पन्द्रह मिग्रा0 तथा शुद्ध स्मैक का वजन सात ग्राम हुआ। इस पर शुद्ध स्मैक में से एक ग्राम स्मैक एफ एस एल जॉच व एक ग्राम स्मैक कन्ट्रोल सेम्पल हेतु लिया जाकर दो अलग-अलग छोटी थैली में रखकर सफेद कपड़े की थैली में डालकर बृजराजसिंह एच.सी. की निजी सील से सील मोहर कर चिट चस्पा कर मार्क क्रमशः डी व ई दिया। शेष माल को उसी पॉलिथीन की थैली में रखकर सफेद कपड़े की थैली में डालकर सील मोहर कर चिट चस्पा कर मार्क एफ दिया तथा महेश शर्मा के कब्जे में मिली स्मैक बिक्री की रकम रूपये 5200 को खाकी लिफाफे में रखकर अन्तर्गत धारा 62 एनडीपीएस एक्ट के तहत जब्त कर बृजराजसिंह एच.सी. की निजी सील से सील मोहर कर मार्क जी दिया गया। मुलजिमान महावीर धोबी, शाहिद हुसैन, रघुनन्दन शर्मा को अन्तर्गत धारा 8/27 एनडीपीएस एक्ट व मुलजिम महेश कुमार शर्मा को स्मैक पदार्थ के लिये वित्त पोषित करना, मादक पदार्थ उपलब्ध कराना व बिक्री की रकम बरामद होने से धारा 8/21, 8/27ए, व 62 एनडीपीएस एक्ट के तहत गिरफ्तार किया गया। समस्त कार्यवाही की फर्द जब्ती अवैध मादक पदार्थ प्रदर्श पी 1 है, जो मौके पर ही तैयार की गई। बाद कार्यवाही मय माल व मुलजिमान के थाने पर आये जहां एसएचओ साहब ने मुकदमा दर्ज किया तथा मुलजिमान को बंद हवालात किया तथा माल को जमा मालखाना किया।

बचाव पक्ष की जिरह में बताया कि वे कागजी देवरा होते हुए चम्पा बाग गये थे। चम्पा बाग निजी सम्पत्ति हो तो उसकी जानकारी में नहीं है। उसने किसी मुलजिम को नहीं पकड़ा था। चम्पा बाग के बाहर मंदिर, मस्जिद व मकानात बने हुए हैं। चम्पा बाग का रोड बहता हुआ रोड है। मुलजिम उन्हें देखकर नहीं भागे थे। गवाह ने स्वीकार किया कि मुलजिमान के सबके जवाब की लेखनी एक जैसी ही है। मुलजिमान ने स्वयं बताया था कि यह स्मैक है। मुलजिम महेश से कुल 5200 रूपये जप्त किये थे। समस्त फर्दों पर बृजराज सिंह की निजी सील से सील मोहर किया था। गवाह ने स्वीकार किया कि घेरा देने पर अगर मुलजिमान भागना चाहते तो भाग सकते थे। जब भी कोई सरकारी वाहन थाने से बाहर निकलता है तो एक लॉग बुक भरी जाती है। पत्रावली में लॉग बुक मौजूद नहीं है। फर्द जप्ती प्रदर्श पी-1 उसके सामने बनायी थी जो मुलजिमान की गिरफ्तारी के बाद बनायी थी। जप्ती अधिकारी ने उससे या जप्ता के किसी सदस्य से नही कहा कि किसी राजपत्रित अधिकारी या न्यायालय के किसी मजिस्ट्रेट को बुलाकर लाओ। माल को तोलते समय जब्ती अधिकारी द्वारा किसी उच्च अधिकारी को बुलाने का प्रयास नहीं किया गया। माल को एक बार मौके पर दूसरी बार थाने में सील मोहर किया था। तीन मुलजिमान से कोई मादक पदार्थ बरामद नहीं किया, सिर्फ पीने के उपकरण बरामद किये। मादक पदार्थ केवल एक ही मुलजिम महेश से प्राप्त किया था।

13. साक्षी निर्मल पी.डब्ल्यू. 4 प्रकरण में जप्तशुदा माल को एफ.एस.एल. जयपुर में जमा कराने का गवाह है, जिसने अपने बयानों में बताया कि वह दिनांक 13.05.2015 को थाना कोतवाली बूंदी पर कानि. 850 के पद पर कार्यरत था। उस दिन मुकदमा नंबर 213/15 धारा 8/21, 8/27 व 8/27ए एनडीपीएस एक्ट मे शील्डशुदा पैकेट मार्क ए, बी, सी, व डी मय कागजात के हजारी सिंह हैड कान. मालखाना ने एफएसएल जयपुर मे जमा करवाने हेतु सुपुर्द किये थे जिन्हें शील्डशुदा हालत मे प्राप्त कर एसपी ऑफिस पहुंच कर कागज तैयार करवाये। उसके पश्चात् रवाना हो दिनांक 14.05.2015 को एफएसएल जयपुर पहुँच कर उक्त माल जमा करवाकर रसीद क्रमांक 4573 दिनांक 14.05.2015 प्राप्त कर दिगर राजकार्य करता हुआ दिनांक 16.05.2015 को थाने पर पहुंचकर रसीद एचएम मालखाना को सुपुर्द की। नकल रपट रवानगी व वापसी प्रदर्श 27 पर अंकित है जो शमिल पत्रावली है तथा एफएसएल की रसीद प्रदर्श पी 25 है जो शमिल पत्रावली है। अग्रेषण पत्र प्रदर्श पी 19 है जो शमिल पत्रावली है। बचाव पक्ष की जिरह में बताया कि उसे मालखाना अधिकारी ने सेम्पल दिये थे। माल पैकेट के रूप में था जो चार पैकेट थे। माल प्राप्त कर एस.पी. ऑफिस से कागजात बनवाकर जयपुर की बस में बैठ गया और एफ एस एल जयपुर में जाकर माल जमा करवाकर रसीद प्राप्त की। उसे जो पैकेट दिये थे वे सील्डशुदा थे।

14. साक्षी महेश कुमार पी.डब्ल्यू. 8 एफ एस एल कोटा में माल जमा कराने का गवाह है। इस साक्षी ने अपने मुख्य परीक्षण में कथन किया कि दिनांक 05.06.2015 को वह थाना कोतवाली बूंदी में कानि. के पद पर था। उस दिन प्रकरण संख्या 213/2015 अन्तर्गत धारा 8/21, 8/27 एन.डी.पी.एस. एक्ट में मालखाना इंचार्ज द्वारा चार सेम्पल एफ.एस.एल. मे जमा करवाने हेतु सील्डशुदा हालत में दिये थे। एस.पी. कार्यालय पहुंचकर अग्रेषण पत्र तैयार करवाया तथा एफ.एस.एल. कोटा में माल जमा करवा कर रसीद प्राप्त की जो प्रदर्श पी 24 है। अग्रेषण पत्र प्रदर्श पी 18 व 23 है। रसीद वापस थाने आकर मालखाना इंचार्ज को सुपुर्द की। रपट रोजनामचा वापसी प्रदर्श पी 28 है। बचाव पक्ष की जिरह में बताया कि उसे माल एस.एच.ओ. द्वारा नहीं बल्कि मालखाना इंचार्ज द्वारा दिया गया था। अग्रेषण पत्र प्रदर्श पी-23 पर उसके हस्ताक्षर नहीं हैं। प्रदर्श पी-24 पर प्राप्तकर्ता का नाम नहीं है, उसके हस्ताक्षर है।

15. साक्षी हनुमान प्रसाद पी.डब्ल्यू. 6 धारा 57 एन.डी.पी.एस.एक्ट की सूचना पहुँचाने का गवाह है। इस साक्षी ने अपने सशपथ बयानों में बताया कि वह दिनांक 12.05.2015 को वह थाना कोतवाली में कानि. के पद पर था। उस दिन मुकदमा संख्या 213/2015 अन्तर्गत धारा 8/21, 8/27 एनडीपीएस एक्ट धारा 57 एनडीपीएस एक्ट की सूचना एस. पी. साहब व सी.ओ. साहब का देने हेतु गवाह को दो बंद लिफाफे थानाधिकरी श्री तरूणकांत सोमानी ने दिये थे जिन्हें गवाह द्वारा एस.पी. कार्यालय मे ए.एस.पी. राजेश यादव को सुपुर्द कर नोटिस की दूसरी प्रति व रसीद प्राप्त की गई। उक्त प्रति प्रदर्श पी 17 है। सी. ओ. साहब के कार्यालय मे दिये गये लिफाफे को खोलकर उन्होंने दूसरी प्रति प्रदर्श पी 17 पर इ से एफ हस्ताक्षर किये। वापस थाने आकर रसीद एसएचओ साहब को सुपुर्द की। बचाव पक्ष की जिरह

में बताया कि उसे लिफाफा थाना कोतवाली, बून्दी के एस एच ओ तरूणकांत सोमाणी ने 2.00 बजे दिया था। उसकी रवानगी रपट डाली या नहीं, उसे नहीं पता। वहाँ से वह एस.पी. कार्यालय में गया था।

16. साक्षी पी.डब्ल्यू. 10 डॉ0 अनिल अरोड़ा है, जिसने अपने सशपथ बयानों में बताया कि वह दिनांक 12.05.2015 को सामान्य चिकित्सालय बूंदी मे चिकित्साधिकारी के पद पर पदस्थापित था। उस दिन थाना कोतवाली की प्रार्थना पर उसने सत्यनारायण पुत्र रामलक्ष्मण, शाहिद हुसैन पुत्र बदरूद्दीन तथा महेश पुत्र कपूरचन्द के स्मैक बाबत् परीक्षण किया। इस हेतु उसने उनके रक्त के नमूने लेकर उन्हें सील बंद कर एफ.एस.एल. जांच हेतु पुलिस को सौंप दिया था। जॉच के दौरान तीनों ही होश-हवास मे थे तथा उनके वाइटल पैरामीटर नोर्मल थे। स्मैक की मौजूदगी बाबत् राय एफएसएल जांच पश्चात देना संभव है। रिपोर्ट प्रदर्श पी क्रमशः 20, 21, 22 है। ब्लड सेम्पल रिपोर्ट प्रदर्श पी 36 के आधार पर जॉच में मॉर्फिन की उपस्थिति पायी गयी।

बचाव पक्ष की जिरह में स्वीकार किया कि उसके द्वारा शारीरिक परीक्षण किये जाने पर तीनों ही मुलजिमान सामान्य अवस्था में तथा होश-हवास में थे। थाना कोतवाली की ब्लड सेम्पल लिये जाने बाबत् कोई तहरीर पत्रावली में नहीं है। उसने तीन व्यक्तियों की जॉच की थी। प्रदर्श पी-36 उसके द्वारा तैयार किया हुआ नहीं है, वह तो प्रदर्श पी-36 के आधार पर बता रहा है। तीनों व्यक्तियों की ऐसी कोई जॉच नहीं की गई जिससे यह बता सकू कि वे नशे में हों।

17. साक्षी पी.डब्ल्यू. 9 अनीश अहमद प्रकरण का अनुसंधान अधिकारी है, जिसने अपने सशपथ बयानों में बताया कि मैं दिनांक 12.05.2015 को मैं थाना सदर बून्दी में थानाधिकारी के पद पर पदस्थापित था, उस दिन थाना कोतवाली की एफ.आई.आर.नंबर213/2015 धारा 8/21, 8/27, 8/27ए एनडीपीएस एक्ट का अनुसंधान उसके सुपुर्द किया गया था। दौराने अनुसंधान बयान गवाहान श्री तरूणकांत सोमाणी, श्री हजारी सिंह, श्री बृजराज सिंह, श्री बुद्धिप्रकाश, श्री भंवरसिंह, श्री धूड़राम, श्री निर्मल कुमार व श्री महेश कुमार के बयान उनके कथनानुसार लेखबद्ध किये। प्रकरण हाजा के घटना स्थल का नक्शा मौका चश्मदीद गवाह भंवरसिंह की निशादेही से मूर्तिब किया, जो प्रदर्श पी 34 है। उसके द्वारा प्रकरण से संबंधित मुलजिमान का आपराधिक रिकॉर्ड शामिल पत्रावली किया गया जो प्रदर्श पी 35 है। मालखाना रजिस्टर की नकल शामिल पत्रावली की गयी जो प्रदर्श पी 33ए है। प्रकरण से संबधित नकल रपट रोजनामाचा प्रदर्श पी 26, प्रदर्श पी 27, प्रदर्श पी 28 शामिल पत्रावली की गयी। एफ.एस.एल. की रसीद व अग्रेषण पत्र शामिल पत्रावली किये गये जो क्रमशः प्रदर्श पी 24 व प्रदर्श पी 25 है। इस प्रकरण में मुलजिमान के ब्लड सेम्पल एफ.एस.एल. भिजवायी गये थे जिसकी एफ.एस.एल. रिपोर्ट प्रदर्श पी 36 है जो शामिल पत्रावली है। इस प्रकरण मे इन्वेन्ट्री कार्यवाही करवायी जा चुकी है जिसका अग्रेषण पत्र प्रदर्श पी 29 है तथा आदेशिका प्रदर्श पी 37 है। इन्वेन्ट्री प्रदर्श पी 38, इन्वेन्ट्री प्रमाण पत्र प्रदर्श पी 39 तथा फोटोग्राफ प्रदर्श पी 40 लगायत 48 है जो शामिल पत्रावली है। प्रकरण मे समस्त अनुसंधान से आरोपी रघुनन्दन उर्फ सत्यनारायण, शाहिद उर्फ कालू, महावीर धोबी के विरूद्ध जुर्म धारा 8/27, 8/29

एन.डी.पी.एस. एक्ट का अपराध प्रमाणित पाया तथा अभियुक्त महेश कुमार शर्मा उर्फ बन्टी के विरूद्ध 8/21, 8/29 एन.डी.पी.एस. एक्ट का अपराध प्रमाणित पाये जाने पर पत्रावली एस.एच.ओ. कोतवाली भंवरलाल यादव को सुपुर्द की जिन्होंने आरोप पत्र न्यायालय मे पेश किया था।

बचाव पक्ष की जिरह में बताया कि उसने उक्त प्रकरण में किसी मुलजिम को गिरफ्तार नहीं किया। महेश के अतिरिक्त तीनों मुलजिमान ने महेश के द्वारा स्मैक उपलब्ध करवाना बताया था। महेश द्वारा स्मैक विक्रेता का नाम पता ज्ञात होने से इनकार किया था, केवल शक्ल से पहचानना बताया था। महेश ने मीरा गेट के पास से उक्त स्मैक क्रय करना बताया था। तीनों मुलजिमान द्वारा पैसे देकर स्मैक खरीदकर पीना बताया था। महेश से पैसे पहले ही बरामद हो चुके थे। मुलजिम महावीर धोबी के विरुद्ध लाईट चोरी व जुए सट्टे का तथा शाहिद के विरुद्ध लाईट चोरी का पूर्व आपराधिक प्रकरण दर्ज था। उसने चम्पा बाग प्रोपर्टी के स्वामित्व के कागजात प्राप्त नहीं किये। उसके द्वारा घटनास्थल की कार्यवाही के समय वहाँ कोई चैकीदार मौजूद नहीं था।

18. **हस्तगत प्रकरण में अभियोजन पक्ष की ओर से प्रस्तुत सम्पूर्ण मौखिक एवं दस्तावेजी साक्ष्य का विवेचन विश्लेषण व ध्यानपूर्वक अवलोकन करने के पश्चात न्यायालय का विनम्र मत है कि प्रकरण अभियुक्त महेश के विरूद्ध आरोपित अपराध अन्तर्गत धारा 8/21 व 8/29 एन.डी.पी.एस. एक्ट के सम्बन्ध में है।**

इस संबंध में न्यायालय सर्वप्रथम इस बिन्दु पर विचार करना उचित पाता है कि क्या प्रस्तुत मामला एक संयोगवश बरामदगी का है अथवा पूर्व सूचना पर आधारित बरामदगी का है।

19. इस संबंध में यदि अभियोजन की ओर से प्रस्तुत मौखिक साक्ष्य में सबसे अहम गवाह जप्ती अधिकारी तरूणकान्त सोमानी एवं दस्तावेजी साक्ष्य में प्रथम सूचना रिपोर्ट प्रदर्श पी-16, रोजनामचा रवानगी प्रदर्श पी-26 व फर्द जप्ती प्रदर्श पी-1 का अवलोकन किया जाये तो यह प्रकट होता है कि थाना कोतवाली, बून्दी से तत्कालीन थानाधिकारी तरूणकान्त सोमानी पी.डब्ल्यू. 1 मय जाप्ता के व अनुसंधान बॉक्स के वास्ते चैकिंग गुण्डा बदमाशान के लिये मय सरकारी जीप थाने से दिनांक 11.05.2015 को समय 10.30 पी.एम. पर रवाना होकर चम्बा बाग के पास पहुंचे तो वहाँ बाग में अचानक रोशनी नजर आई व कुछ व्यक्तियों की आवाज सुनाई दी, बाग के अंदर जाप्ता के साथ जाकर देखा तो कुछ व्यक्ति बार-बार माचिस की तीली जलाकर एक चमकीली पन्नी के नीचे तीली में आग लगाकर मुँह में पाईप लगाकर धुएँ को खींचते हुए नजर आये, जिन्हें जाब्ते की मदद से पकडकर पूछताछ की तो वे वहाँ पर मादक पदार्थ का नशा करते हुए पाये गये, जिनके पास से नशा करने का सामान चमकीली पन्नी, तीली आदि बरामद हुई, जिनमें मादक पदार्थ स्मैक की गंध आ रही थी एवं एक अभियुक्त महेश कुमार के कब्जे से 07 ग्राम मादक पदार्थ स्मैक बरामद हुई, जब्ती अधिकारी के उक्त कथनों की पुष्टी प्रकरण में अन्य मौके पर मौजूद सभी गवाहान ने भी अपने मुख्य परीक्षण के दौरान की है।

20. इस सम्बन्ध में यदि न्यायालय द्वारा बरामदगी के संबंध में की गई कार्यवाही व उसकी स्थिति पर विचार किया जाये तो गवाह पी.डब्ल्यू. 1 तरूणकान्त

सोमानी प्रस्तुत मामले में जप्ती अधिकारी है। यहाँ यह उल्लेखनीय है कि इस गवाह के बयानों से गश्त हेतु थाने से रवाना होना तथा मौके पर स्थिति सन्देहास्पद होने पर चम्बा बाग के भीतर जाकर अभियुक्तगण को मौके पर तलाशी लेने पर नशा करते हुए पकड़ना व मादक पदार्थ एवं नशा करने संबंधी सामग्री की बरामदगी होने के पश्चात् नियमानुसार उक्त मादक पदार्थ व सामग्री को जप्त करना मुख्य परीक्षा से पुष्ट हो रहा है। दौराने बहस अधिवक्ता अभियुक्त द्वारा यह कथन किया गया कि जप्ती अधिकारी द्वारा अभियुक्त की तलाशी से पूर्व स्वयं की तलाशी दिया जाना साबित नहीं है, परन्तु गवाह पी.डब्ल्यू. 1 तरूणकान्त सोमानी द्वारा अपनी मुख्य परीक्षा में ही स्पष्ट कथन किया गया है कि उसके द्वारा अभियुक्त की तलाशी से पूर्व अपनी तलाशी जाप्ते के सदस्यों को दी गई थी, जिसका हवाला फर्द जप्ती प्रदर्श पी-1 में भी मौजूद है, जिसका कोई खण्डन गवाह की जिरह में नहीं हुआ है। अतः इस न्यायालय के विनम्र मत में यह कथन कि जप्ती अधिकारी की तलाशी नहीं ली गई, माने जाने योग्य नहीं है। इस गवाह के साथ गवाह टीकम सिंह पी.डब्ल्यू. 1, हजारी सिंह पी.डब्ल्यू. 2, ब्रजराज सिंह पी.डब्ल्यू. 3, भंवर सिंह पी.डब्ल्यू. 5 व बुद्धिप्रकाश पी.डब ल्यू .7 जो तत्समय् जाप्ते के सदस्य थे, इन सभी गवाहान ने इस बात की पुष्टि की है कि दिनांक 11.05.2015 को वे उक्त जाब्ते के सदस्य थे, जिसका नेतृत्व तत्कालीन थानाधिकारी तरूणकान्त सोमानी द्वारा किया जा रहा था। इन गवाहान ने स्पष्ट रूप से इस तथ्य की पुष्टि की है कि जब वे आपराधिक गतिविधियों की गश्त हेतु गये तो चम्पा बाग के अंदर हल्की रोशनी नजर आई, शक होने पर वाहन को खड़ा कर अंदर गये तो कुछ व्यक्ति बार-बार माचिक की तीली जलाकर एक चमकीली पन्नी के नीचे तीली जलाकर मुँह से पाईप के उपर उठते हुए धुँए को मुँह में खींचते हुए दिखाई दिये, जिनका पकड़कर पूछा तो चार व्यक्ति महेश कुमार, रघुनंदन, शाहिद हुसैन व महावीर मादक पदार्थ स्मैक का नशा करते हुए पाये गये। उनके पास कोई भी अवैध वस्तु होने की संभावना प्रकट होने पर नियमानुसार स्वतंत्र गवाह लाने हेतु भंवर सिंह कानि. पी.डब्ल्यू. 5 को हुक्मनामा दिया गया, परन्तु कानूनी पेचिदगियों के चलते कोई भी व्यक्ति स्वतंत्र गवाह बनने को तैयार नहीं हुआ, जिस पर पी.डब्ल्यू. 2 हजारी सिंह व पी.डब्ल्यू. 3 बृजराज सिंह को ही जाप्ता में से गवाह मामूर कर अभियुक्त की व्यक्तिगत तलाशी ली गई तो रघुनंदन, शाहिद हुसैन व महावीर मादक पदार्थ स्मैक का सेवन करते हुए पाये गये व उनके पास मादक पदार्थ सेवन की सामग्री चमकीली पन्नी व माचिस की तिलियाँ आदि बरामद हुई, जबकि अन्य अभियुक्त महेश कुमार के पास 07 ग्राम मादक पदार्थ स्मैक उसकी पहनी हुई पेंट की दायीं जेब से बरामद हुआ, जो कि एक सफेद पॉलिथिन की पारदर्शी थैली में था। महेश कुमार की पेंट की बायीं जेब से 5200/- की बरामद हुए, जो कि स्मैक बिक्री से प्राप्त राशि होना स्वयं महेश कुमार द्वारा बताया गया। इन गवाहान की साक्ष्य अखण्डनीय रही है व जिरह में ऐसा कोई विरोधाभासी तथ्य प्रकट नहीं हुआ जिससे यह जाहिर हो कि अभियुक्त महेश व सह-अभियुक्तगण को गश्त के दौरान नहीं पकडा गया हो या अभियुक्त महेश से बरामदगी नहीं हुई हो। गवाहान की साक्ष्य के अनुसार अभियुक्त महेश के पास उक्त स्मैक के संबंध में कोई अनुज्ञा-पत्र मौजूद नहीं था। जिस पर मौके पर ही जप्ती की कार्यवाही कर फर्द प्रदर्श पी-1 को तैयार किया गया। उक्त स्मैक 07 ग्राम

Authenticated Document

शुद्ध वजन में पाई गई, जिसमें से एक-एक ग्राम के दो नमूना सेम्पल वास्ते एफ.एस.एल. जॉच व कन्ट्रोल सेम्पल निकालकर पृथक से नियमानुसार सील मोहर किया गया एवं शेष मादक पदार्थ को पृथक से सील मोहर कर मार्क 'एफ' दिया गया, जिसकी पुष्टि गवाहान द्वारा भी की गई है। इसके अतिरिक्त प्रकरण में मौके पर मौजूद किसी भी साक्षीगण के द्वारा दौराने प्रतिपरीक्षण एेसा कोंई भी विरोधाभासी कथन नही किया गया है जिससे उनके मुख्य परीक्षण के कथनों पर अविश्वास किया जा सके। इस प्रकार उक्त आधार पर भी यह स्पष्ट है कि पुलिस को अभियुक्त के पास मादक पदार्थ होने की कोई पूर्व सूचना नहीं मिली थी, अपितु वह सब गश्त के दौरान किसी स्थान विशेष पर संदिग्ध गतिविधि एवं अभियुक्त के सन्देहास्पद आचरण की वजह से तलाशी लेने की आवश्यकता प्रतीत होने पर अभियुक्तगण से बरामदगी की गई है।

21. इस प्रकार न्यायालय के मत में प्रस्तुत मामला **संयोगवश बरामदगी** का बनना पाया जाता है। जिसके संबंध में अधिनियम की धारा 42 (2) अथवा धारा 50 के प्रावधान आकृष्ट नहीं होते हैं। माननीय उच्चतम न्यायालय ने **हिमाचल प्रदेश बनाम सुनील कुमार 2014(4) एससीसी पेज 780** के प्रकरण में विधि का सिद्वान्त प्रतिपादित किया है कि एक्सीडेंटल व चान्स रिकवरी के मामले में धारा 50 अधिनियम के प्रावधान लागू नहीं होते हैं। उक्त न्यायिक दृष्टान्त वाले प्रकरण में अभियुक्त सुनील कुमार के पास केवल अवैध वस्तु मादक पदार्थ हो ऐसा पुलिस जाब्ते को ज्ञात नहीं था क्योंकि अवैध वस्तु तस्करी का सोना, चोरी की सम्पत्ति, अवैध आग्नेय अस्त्र या अवैध मादक पदार्थ, कुछ भी हो सकता है। इस संबंध में माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा प्रकरण **सोराब खान गन्ध खान पठान विरुद्ध गुजरात राज्य (2004) 13 एस.सी.सी. पेज 608** में भी यही अभिनिर्धारित किया गया है कि अचानक की गई तलाशी में मादक पदार्थ की बरामदगी होने पर धारा 42(2) व 50 के प्रावधानों की पालना किया जाना आवश्यक नहीं है। उक्त न्यायिक नजीर के अनुसार जहॉ मादक पदार्थ होने की कोई पूर्व स्पष्ट सूचना नहीं थी व मात्र सन्देह के आधार पर तलाशी ली गई एवं मादक पदार्थ बरामद हुआ, वहॉ धारा 50 के प्रावधान आकर्षित नहीं होते हैं। यद्यपि मौके पर अभियुक्त महेश एवं अन्य सह-अभियुक्तगण को धारा 50 एन.डी.पी.एस.एक्ट के नोटिस दिये गये हैं, जो पत्रावली पर प्रदर्श पी-8 से प्रदर्श पी-11 के रूप में प्रदर्शित भी करवाये गये हैं। किन्तु जहॉ उक्त नोटिस संबंधी अन्य औपचारिकताओं का प्रश्न है, यदि उक्त धारा 50 एन.डी.पी.एस.एक्ट की पूर्ण रूप से पालना नहीं की गई है तो भी गवाहान की साक्ष्य व दस्तावेजात् से यह तो स्पष्ट है कि कथित बरामदगी अभियुक्त महेश की व्यक्तिगत तलाशी लेने पर उसकी पेंट की जेब से की गई थी परन्तु न्यायालय के समक्ष अभियोजन की साक्ष्य से यह भी प्रकट हुआ है कि जाप्ते को अभियुक्त के पास मादक पदार्थ होने की कोई पूर्व सूचना नहीं थी। अतः प्रस्तुत मामले में धारा 50 एन.डी.पी.एस.एक्ट की पालना आवश्यक नहीं थी।

22. इस सम्बन्ध में पत्रावली पर मौजूद अन्य दस्तावेज प्रदर्श पी-1 का भी कोई खण्डन अभियुक्त पक्ष की ओर से नहीं किया गया है एवं जो नमूना सील मौके पर उपयोग ली गई, उसे नियमानुसार नष्ट करना दस्तावेज फर्द प्रदर्श पी-13 से

Authenticated Document

साबित है। उक्त दस्तावेज से विद्वान अधिवक्ता अभियुक्त का यह तर्क विश्वासयोग्य नहीं रह जाता है कि जिस सील से मौके पर माल जप्त किया गया था, उक्त सील को मौके पर नष्ट नहीं किया गया। जप्ती की कार्यवाही के पश्चात् मय माल व मुलजिम के थाने पर आकर माल को पुनः थाने की सील से सील मोहर किया जाना प्रदर्श पी-17 फर्द पुनः नमूना सील से तथा प्रदर्श पी-1 फर्द जप्ती पर अंकित आई से जे कार्यवाही पुलिस व आमद रपट प्रदर्श पी-32 से भी साबित है। प्रकरण में जप्तशुदा माल को जमा मालखाना करवाना प्रदर्श पी-33ए व गवाह पी.डब्ल्यू. 2 हजारी सिंह की साक्ष्य से साबित है। धारा 57 एन.डी.पी.एस.एक्ट की सूचना उच्चाधिकारियों को प्रेषित करना गवाह पी.डब्ल्यू. 6 हनुमान प्रसाद के बयानों व प्रदर्श पी-17 से प्रकट हो रहा है। प्रकरण में जप्तशुदा मादक पदार्थ का सेम्पल गवाह पी.डब्ल्यू. 4 निर्मल द्वारा विधि विज्ञान प्रयोगशाला में वास्ते जॉच जमा करवाया जाना उसकी साक्ष्य से तथा रसीद प्रदर्श पी-25 से दर्शित है। साथ ही इस संबंध में नकल आमद रपट प्रदर्श पी-27 भी मौजूद है जिस से मौके पर सभी गवाहान एवं जब्ती अधिकारी की मौजूदगी भी प्रकट होकर उनके द्वारा विधिवत कार्येवाही किया जाना भी प्रमाणित पाया जाता है। प्रस्तुत मामले में जप्तशुदा पाउडर कथित स्मैक मादक पदार्थ की श्रेणी में ही आता है, इस तथ्य की पुष्टि एफ.एस.एल. रिपोर्ट प्रदर्श पी-31 से हो रही है। जिसके अनुसार जो सेम्पल जॉच के लिये भेजा गया, उसकी बाद जॉच जो रिपोर्ट प्राप्त हुई कि उसके अनुसार ''The sample packed in the packet marked D was found to contain diacetylmorphine (Heroin), hence the sample is of opium derivative as described U/S 2 (xvi) d and e of the NDPS Act, 1985. जिसका कोई भी खण्ड़न अभियुक्त महेश कुमार की ओर से नहीं किया जा सका। उक्त एफ.एस.एल. रिपोर्ट के अवलोकन से यह भी दर्शित होता है कि प्रकरण में उक्त जप्तशुदा माल का सेम्पल एफ.एस.एल. पहुँचने तक सीलबंद था तथा उससे कोई छेड़छाड़ होना भी प्रकट नहीं हुआ है। दौराने बहस यह कथन भी अभियुक्त की ओर से तर्क किया गया कि प्रस्तुत मामले में स्वतंत्र गवाहों को लाने का कोई उचित प्रयास किया जाना दर्शित नहीं है एवं पुलिस के गवाहान पर विश्वास नहीं किया जा सका। परन्तु इस न्यायालय के विनम्र मत में प्रदर्श पी-6 हुक्मनामा से यह दर्शित हो रहा है कि मौके पर स्वतंत्र गवाह लाने हेतु जाप्ते के सदस्य को भेजा गया था परन्तु रात्रि का समय व सुनसान इलाका होने के कारण कोई भी व्यक्ति स्वतंत्र गवाह बनने के लिये तैयार नहीं हुआ, जिसकी रिपोर्ट भी इस फर्द प्रदर्श पी-6 पर सी से डी मौजूद है। ऐसे में स्वाभाविक रूप से जाप्ते के गवाहान के समक्ष ही उन्हें गवाह मामूर कर यह तलाशी की कार्यवाही की जा सकती थी, जो कि प्रस्तुत मामले में नियमानुसार की गई दर्शित होती है। इसके अतिरिक्त मात्र इस आधार पर बरामदगी को सन्देहास्पद नहीं माना जा सकता कि मौके के गवाह पुलिस कर्मचारी थे। यहाँ यह उल्लेखनीय है कि माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा **ताहिर बनाम स्टेट (दिल्ली) (1996) 3 एस.सी.सी. 338** के मामले में यह मत प्रतिपादित किया है कि जहाँ किसी कार्यवाही टीम के सदस्य रहे पुलिस कर्मचारी किसी तथ्य की अपनी साक्ष्य से सुदृढ़ व स्पष्ट रूप से पुष्टि करते हैं तो ऐसे पुलिस कर्मचारियों की साक्ष्य को मात्र इस आधार पर अनदेखा नहीं किया जा सकता कि वे पुलिस कर्मचारी हैं और जाब्ते का हिस्सा थे। प्रस्तुत मामले में यह सिद्ध करने

का भार कि अभियुक्त से कोई बरामदगी नहीं की गई, स्वयं अभियुक्त महेश कुमार पर है एवं न्यायालय के समक्ष अभियुक्त की ओर से ऐसी कोई प्रतिरक्षात्मक साक्ष्य पेश नहीं की गई जिससे दर्शित हो कि तत्समय अभियुक्त महेश कुमार घटनास्थल के अतिरिक्त किसी अन्य स्थान पर हो या पुलिस द्वारा उसे तत्समय गिरफ्तार नहीं किया गया हो, जबकि अभियुक्त महेश कुमार की फर्द गिरफ्तारी प्रदर्श पी. 3 से यह दर्शित है कि अभियुक्त को बरामदगी वाले दिन चम्पा बाग, बून्दी से गवाहान के समक्ष गिरफ्तार किया गया था एवम् अभियुक्त की गिरफ्तारी की पुष्टि गवाह पी.डब्ल्यू-2 व पी.डब्ल्यू-3 दोनों के ही द्वारा स्पष्ट रूप से की गई है।

23. विद्वान अधिवक्ता अभियुक्त की ओर से दौराने बहस यह भी तर्क किया गया है कि प्रकरण में पी.डब्ल्यू. 2 हजारी सिंह मालखाना इंचार्ज है, जिस मौके पर जप्ती का गवाह बनाया गया है, उक्त साक्षी यदि मौके पर था तो मालखाना का चार्ज किस व्यक्ति के पास रहा, इस संबंध में कोई दस्तावेजी साक्ष्य पत्रावली पर नहीं है। इस संबंध में इस न्यायालय का मत है कि बचाव पक्ष द्वारा ऐसा कोई दस्तावेज न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत नहीं किया है, जिससे यह प्रकट हो कि जो पुलिसकर्मी मालखाना इंचार्ज के पद पर कार्यरत रहते हुये थाने से बाहर की किसी कानूनी कार्यवाही में भाग नहीं ले सकता, अथवा उसे थाने से बाहर जाने पर प्रत्येक बार मालखाना का चार्ज किसी अन्य व्यक्ति को देना आवश्यक रहेगा। ऐसी स्थिति में अधिवक्ता अभियुक्त का उक्त तर्क स्वीकार किये जाने योग्य नहीं है। इसी क्रम में अधिवक्ता अभियुक्त का यह भी तर्क रहा है कि सरकारी जीप की लॉग बुक पेश नहीं की गई है, जिससे पुलिस कर्मी का सरकारी जीप से जाना प्रमाणित नहीं हो रहा है। इस संबंध में न्यायालय का मत है कि अभियोजन पक्ष की ओर से दस्तावेजी साक्ष्य में पत्रावली पर रोजनामचा रपट की प्रति प्रदर्श पी-26 प्रस्तुत की गई है, जिससे स्पष्ट रूप से जाप्ता का सरकारी वाहन से जाना अंकित है, जिसका कोई खण्डन अभियुक्त पक्ष की ओर से नहीं किया जा सका है। अतः मात्र सरकारी जीप की लाग बुक पत्रावली पर नही होने से प्रकरण पर कोई भी विपरित प्रभाव नही पडता है। अधिवक्ता अभियुक्त का दोराने बहस यह भी तर्क रहा है कि अभियुक्त महेश उक्त मादक पदार्थ कहाँ से लाया, इस संबंध में अनुसंधान अधिकारी के द्वारा कोई अनुसंधान नहीं किया गया है। इस संबंध में न्यायालय का यह मत रहा है कि मादक पदार्थ की उपलब्धता के संबंध में जानकारी अनुसंधान के एक भाग से संबंधित है। किन्तु यदि प्रत्यक्षदर्शी एवं दस्तावेजी साक्ष्य विश्वसनीय हों, तो मात्र अनुसंधान में किसी त्रुटि मात्र से सम्पूर्ण अभियोजन मामला असफल नहीं माना जा सकता। इस प्रकार अधिवक्ता अभियुक्त की ओर से बचाव में जो तर्क प्रस्तुत किये गये हैं, वे इस स्तर पर स्वीकार्य नही होने से खारिज किये जाते है। इसी क्रम में बचाव पक्ष की ओर से जो न्यायदृष्टान्त प्रस्तुत किये गये हैं, वे भी हस्तगत प्रकरण के तथ्यों की भिन्नता के कारण अभियुक्त को कोई सहायता प्रदान नहीं करते हैं।

24. ऐसे में न्यायालय के समक्ष यह स्पष्ट है कि दिनांक 11.05.2015 को समय करीब 11.45 पी.एम. पर कस्बा पुलिस थाना कोतवाली, बून्दी के क्षेत्र में चम्पा बाग, बून्दी में दौराने गश्त अभियुक्त महेश कुमार के अनन्य कब्जे व आधिपत्य में लगभग 07 ग्राम मादक पदार्थ स्मैक पाया गया, जिसे अपने कब्जे मे रखने का

अभियुक्त के पास कोई वैध अनुज्ञा पत्र नहीं था एवं अभियुक्त द्वारा उक्त मादक पदार्थ अन्य सह-अभियुक्त को विक्रय कर सेवन के लिये उपलब्ध करवाया। तत्समय् अभियुक्त की उपस्थिति किसी अन्य स्थान पर रही हो, ऐसी कोई प्रतिरक्षात्मक साक्ष्य पेश की गई, ना ही अभियुक्त से बरामदगी का खण्डन किया जा सका है। अतः न्यायालय अभियुक्त महेश कुमार के विरुद्ध धारा 35 एन.डी.पी.एस. एक्ट के तहत यह उपधारणा करना उचित पाता है कि तत्समय् अभियुक्त की कथित अपराध की मानसिक दशा रही थी एवं इस उपधारणा का खण्ड़न अभियुक्त की ओर से नहीं किया जा सका है। ऐसी स्थिति में अभियुक्त महेश कुमार के विरूद्ध आरोपित अपराध अन्तर्गत धारा 8/21व 8/29 एन.डी.पी.एस.एक्ट संदेह से परे प्रमाणित पाये जाने से अभियुक्त उक्त आरोपित अपराध के आरोप में दोषसिद्ध किये जाने योग्य है।

आ दे श

अतः महेश कुमार उर्फ बंटी पुत्र कपूरचन्द, निवासी-नाहर का चौहटा, लक्ष्मीनारायण मंदिर के पास, बून्दी थाना-कोतवाली, जिला-बून्दी (राज0) को आरोपित अपराध धारा 8/21 व 8/29 स्वापक औषधि एवं मनः प्रभावी पदार्थ अधिनियम, 1985 के अधीन दण्डनीय अपराध के आरोप में दोषसिद्ध करार दिया जाता है।

(कृष्णा गुप्ता)
न्यायाधीश,
विशिष्ट न्यायालय
एन.डी.पी.एस. प्रकरण, बून्दी

दण्ड के प्रश्न पर सुना गया:-

25. अभियुक्त महेश कुमार के विद्वान अधिवक्ता का तर्क है कि अभियुक्त महेश कुमार पूर्व में भी न्यायिक अभिरक्षा में रह चुका है एवं लम्बे समय से अन्वीक्षा भुगत रहा है। बरामदशुदा मादक पदार्थ की मात्रा भी ज्यादा नहीं थी। अभियुक्त के विरुद्ध कोई पूर्व दोषसिद्धि की साक्ष्य भी पत्रावली पर नहीं है। अभियुक्त निर्धन व्यक्ति है। अतः अभियुक्त को भुगती हुई सजा अथवा परिवीक्षा पर रिहा किया जावे।

26. जिसके विपिरत विद्वान अपर लोक अभियोजक ने अभियुक्त को सख्त सजा से दण्डित किये जाने का निवेदन किया।

27. उभय पक्ष को सुना गया। पत्रावली का अवलोकन किया। अभियुक्त की पूर्व दोषसिद्धि की कोई साक्ष्य पत्रावली पर नहीं है। हालांकि वह इस मामले में पूर्व में भी न्यायिक अभिरक्षा में रह चुका है, किन्तु उसके द्वारा मादक पदार्थ स्मैक (हेरोईन) बिना अनुज्ञा-पत्र के अपने कब्जे में रखने का गम्भीर आरोप प्रमाणित हुआ है। अतः उसे परिवीक्षा का लाभ नहीं दिया जाकर उसकी आयु, अवस्था व अन्वीक्षा अवधि व मादक पदार्थ की मात्रा को देखते हुए निम्न दण्ड से दण्डित किया जाना न्यायोचित प्रतीत होता है।

दण्डादेश

28. अतः अभियुक्त महेश कुमार उर्फ बंटी पुत्र कपूरचन्द, निवासी-नाहर का चौहटा, लक्ष्मीनारायण मंदिर के पास, बून्दी थाना-कोतवाली, जिला-बून्दी (राज0) को धारा 8/21 व 8/29 स्वापक औषधि एवं मनःप्रभावी पदार्थ अधिनियम, 1985 के अपराध के आरोप में दोषसिद्ध किये जाने पर निम्न प्रकार से दण्डित किया जाता है-

(1) अभियुक्त को धारा 8/21 स्वापक औषधि एवं मनःप्रभावी पदार्थ अधिनियम, 1985 के अपराध में दोषसिद्ध किये जाने पर उक्त अपराध के लिये चार वर्ष के कठोर कारावास एवं बीस हजार रूपये (20,000/- अर्थदण्ड से दण्डित किया जाता है। अदम अदायगी अर्थदण्ड अभियुक्त एक माह का साधारण कारावास भुगतेगा।

(2) अभियुक्त को धारा 8/29 स्वापक औषधि एवं मनःप्रभावी पदार्थ अधिनियम, 1985 के अपराध में दोषसिद्ध किये जाने पर उक्त अपराध के लिये चार वर्ष के कठोर कारावास एवं बीस हजार रूपये (20,000/- अर्थदण्ड से दण्डित किया जाता है। अदम अदायगी अर्थदण्ड अभियुक्त एक माह का साधारण कारावास भुगतेगा।

सभी सजाऍं साथ-साथ चलेंगी। अभियुक्त महेश कुमार द्वारा पूर्व में पुलिस एवं न्यायिक अभिरक्षा में बिताई गई अवधि को द.प्र.सं. की धारा 428 (468 बी.एन.एस.एस. 2023) के प्रावधानान्तर्गत मूल सजा में समायोजित किया जावे।

प्रकरण से सम्बन्धित फर्द प्रदर्श पी-1 के जरिये जब्त शुदा मादक पदार्थ स्मैक को अपील अवधि अवसान के छह माह पश्चात् अपील नहीं होने की सूरत में नारकोटिक्स विभाग, कोटा को ड्रग डिस्पोजल कमेटी के माध्यम से नियमानुसार निस्तारण हेतु जमा कराये जाने के आदेश दिये जाते है। अपील होने की स्थिति में अपील में पारित निर्देशानुसार निस्तारण किया जावे।

अभियुक्त महेश कुमार का सजा वारण्ट मुर्तिब किया जावे।

(कृष्णा गुप्ता)
न्यायाधीश,
विशिष्ट न्यायालय
एन.डी.पी.एस. प्रकरण, बून्दी

29. निर्णय आज दिनांक 10 अगस्त, 2026 को खुले न्यायालय में लिखाया जाकर सुनाया गया।

न्यायाधीश,
विशिष्ट न्यायालय
एन.डी.पी.एस. प्रकरण, बून्दी

Digitally signed by DILIP JAIN
Date: 2026.08.10 17:12:20 +0530
Authenticated Document